राजस्थान राज-पत्र	Regd. No. RJ. 2539 RAJASTHAN GAZETTE
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
ज्येष्ठ 28, गुरुवार, शाके 1903—जून 18, 1981 *Jyaistha 28, Thursday, Saka 1903—June 18, 1981*	

भाग 4 (क)
राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधि रचना संगठन) विभाग
(विकास व्यवस्था प्रकोष्ठ-5)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 24, 1978

संख्या प.1(4)/4वि.र.(विकास)172:—राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम 19) की धारा 3 के अनुसरण में "दी राजस्थान होमियोपैथिक मेडिसिन एक्ट, 1969 (एक्ट नं. 1 आफ 1970)" का राज्यपाल द्वारा अनुमत परिशोधित हिन्दी पाठ उनके प्राधिकार से, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

परिशोधित हिन्दी पाठ

राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा अधिनियम, 1969

(1970 का अधिनियम संख्या 1)

(राष्ट्रपति की अनुमति तारीख 26 दिसम्बर, 1969 को प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य में होमियोपैथिक पद्धति की चिकित्सा के विकास एवं विस्तार के लिये, उसमें उक्त पद्धति के चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण तथा तत्सम्बन्धित अन्य मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मंडल यह अधिनियम बनाता है।

अध्याय I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा अधिनियम, 1969 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

हैं या ऐसे अन्य क्षेत्रों के लिए जिनमें वे एतस्मिन

अधीक्षक
राज्य केन्द्रीय

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में,—

(क) "बोर्ड" से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन स्थापित तथा गठित राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "होमियोपैथी" से डा. हैनीमैन द्वारा प्रतिपादित चिकित्सा पद्धति अभिप्रेत है और उस में डा. शुस्लर द्वारा प्रतिपादित बायोकेमिस्ट्री की सम्बद्ध चिकित्सा पद्धति सम्मिलित है तथा अभिव्यक्ति "होमियोपैथिक" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा ;

(घ) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है तथा इसके अन्तर्गत उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी है ;

(ङ.) "चिकित्सा व्यवसायी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो होमियोपैथिक पद्धति की चिकित्सा करने का व्यवसाय करता है ;

(ङ.) "मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता" से होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की द्वितीय अथवा तृतीय अनुसूची में सम्मिलित की गई होमियोपैथी में कोई भी अर्हता अभिप्रेत है;

(च) "रजिस्टर" से धारा 29 के अधीन रखा गया होमियोपैथिक चिकित्सकों का रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(छ) "रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथ" से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई होमियोपैथिक चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है;

(ज) "रजिस्ट्रार" से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(झ) "उपाध्यक्ष" से बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ।

अध्याय II

बोर्ड की स्थापना तथा गठन

3. बोर्ड की स्थापना.—(1) राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से, इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ, एक बोर्ड स्थापित करेगी जो राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड कहलायेगा।

(2) इस प्रकार स्थापित बोर्ड शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा और उक्त नाम से वह वाद लायेगा और उस पर वाद लाया जायेगा।

रकार राज-पत्र में अधिसूचना

त न हो इस अधिनियम में,

स्थापित तथा गठित राजस्थान

दित चिकित्सा पद्धति अभिप्रेत
ोकेमिस्ट्री की सम्बद्ध चिकित्सा
मियोपैथिक" का तदनुसार अ

सके अन्तर्गत उसका अध्यक्ष और

ेत है जो होमियोपैथिक पद्धति

ोपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम
सम्मिलित की गई होमियोपैथी

या होमियोपैथिक चिकित्सकों का

के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृ
अभिप्रेत है;
नियुक्त रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

त है।

गठन

ाज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, इस
क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ, ए
त्सा बोर्ड कहलायेगा।

ाधिकार और सामान्य मुद्रावाल
गा और उस पर वाद लाया जायेगा।

4. बोर्ड का गठन.—(1) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) चार व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे जिनमें से कम से कम दो ऐसे रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथ होंगे, कि उनमें से एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सीय अर्हता रखने वाला हो;

(ख) एक व्यक्ति, जो मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता रखने वाला हो, राजस्थान राज्य में मान्यता प्राप्त होमियोपैथिक संस्थाओं के रजिस्ट्रीकृत अध्यापकों द्वारा उन्हीं में से निर्वाचित किया जायेगा; तथा

(ग) छः व्यक्ति राज्य के रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथों द्वारा उन्हीं में से चुने जायेंगे जिनमें से दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता रखते हों।

(2) उप-धारा (1) के खंड (ख) और (ग) के अधीन चुनाव विहित रीति से होंगे।

5. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष.—बोर्ड का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के सदस्यों में से नामनिर्देशित किया जाएगा तथा उपाध्यक्ष उक्त सदस्यों द्वारा अपने में से विहित रीति से चुना जायेगा। उपाध्यक्ष के चुनाव में अध्यक्ष भी मत देने का हकदार होगा :

परन्तु यदि राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित बोर्ड का अध्यक्ष मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता रखने वाला रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथ नहीं है तो उपाध्यक्ष बोर्ड के उन सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा जो रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथ हों तथा मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता रखते हों।

6. सदस्यों की पदावधि.—(1) बोर्ड के किसी सदस्य की पदावधि, धारा 4 के अधीन चुनावों के पश्चात्, बोर्ड की पहली बैठक होने की तारीख से, तीन वर्ष तक की होगी :

परन्तु राज्य सरकार, समय समय पर, ऐसी अवधि को कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक किसी अवधि तक और बढ़ा सकेगी।

(2) कोई पदमुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य यदि वह अन्यथा योग्य है, तो पुनः चुने जाने या पुनः नामनिर्देशित किये जाने, यथास्थिति, का पात्र होगा।

7. प्रथम बोर्ड सरकार द्वारा गठित किया जायेगा.— धारा 4 तथा धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् गठित प्रथम बोर्ड के सदस्य (जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सम्मिलित हैं) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे तथा उसके गठन से तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे :

परन्तु राज्य सरकार, समय-समय पर बोर्ड की पदावधि को कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक किसी अवधि तक और बढ़ा सकेगी।

8. पद-त्याग.—(1) अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष से भिन्न कोई सदस्य, किसी भी समय, अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा तथा उक्त त्याग-पत्र अध्यक्ष को पत्र की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगा।

हैं या एसे अन्य क्षेत्रों के लिए जिनमें वे एतस्मिन पश्चात् पद

(2) उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को लिखित में नोटिस देकर अपना पद त्याग सकेगा तथा उक्त त्याग-पत्र अध्यक्ष को नोटिस की प्राप्ति से एक मास की समाप्ति होने पर प्रभावी होगा।

(3) अध्यक्ष, किसी भी समय, राज्य सरकार को सम्बोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा तथा उक्त त्याग-पत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको उस पर राज्य सरकार की स्वीकृति बोर्ड के कार्यालय में प्राप्त हो।

9. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.—(1) यदि बोर्ड के किसी सदस्य, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है या वह त्याग-पत्र दे देता है या किसी भी अन्य कारण से उक्त सदस्य, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष, यथास्थिति, नहीं रहता है, या इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अपना पद खाली करता है या वहां से हटा दिया जाता है तो इस प्रकार हुई रिक्ति की ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाय, नए चुनाव या नामनिर्देशन यथास्थिति, द्वारा पूर्ति की जायेगी:

परन्तु यदि उक्त रिक्ति छः मास या उससे कम अवधि के लिए है तो बोर्ड या राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी कि उक्त रिक्ति की पूर्ति नहीं की जाय।

(2) उप-धारा (1) में वर्णित रिक्ति की पूर्ति करने के लिये चुने या नामनिर्देशित किये गये किसी सदस्य, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष की पदावधि ऐसे सदस्य, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष, जिसके स्थान पर कि वह इस प्रकार चुना या नाम-निर्देशित किया गया है, की बची हुई पदावधि होगी।

10. पद रिक्त होना.—यदि कोई सदस्य उस अवधि के दौरान जिसके लिए वह चुना या नामनिर्देशित किया गया है,—

(क) बोर्ड की लगातार तीन साधारण बैठकों में बिना कारण के अनुपस्थित रहता है, या

(ख) धारा 17 में वर्णित अयोग्यताओं में से किसी के अधीन हो जाता है, तो बोर्ड उसके पद को रिक्त घोषित कर सकेगा :

परन्तु जब बोर्ड उस धारा के अधीन कार्यवाही करने का प्रस्ताव करता है तो सम्बन्धित सदस्य को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जायेगा और जब उक्त कार्यवाही की जाय तो उसके कारणों का अभिलेख रखा जायेगा।

11. पद से हटाना.—(1) राज्य सरकार ऐसे किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को हटा सकेगी जिसने, उसकी राय में, अपनी उक्त पदस्थिति का किसी भी रीति से इस प्रकार खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग किया है कि उसका बोर्ड में बना रहना लोक हित में अहितकारी हो जाता है या जो अपने कर्तव्यों का पालन करने में आवतन असफल रहने का दोषी रहा है :

परन्तु जब राज्य सरकार इस धारा के अधीन कार्यवाही करने का प्रस्ताव करती है तो वह, उक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को, अपने ऐसे आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने का अवसर देगी जिसके कारण कि उसे हटाने का प्रस्ताव किया गया है, ऐसी जांच करेगी जो वह उचित समझे तथा उक्त कार्यवाही करने की दशा में, उसके कारणों का अभिलेख रखेगी तथा राज्य सरकार के उस पर दिये गये निर्णय पर किसी भी विधि न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं उठाई जाएगी।

(2) राज्य सरकार ऐसे किसी सदस्य, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को जिसके विरुद्ध सदस्य, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में अपनी पदस्थिति का दुरुपयोग करने संबंधी कोई जांच, उसके

या किसी विधि न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है अथवा, राज्य सरकार या बोर्ड के आदेशाधीन है, उक्त विधिक कार्यवाही या जांच, यथास्थिति, पर अंतिम आदेश दिये जाने तक के लिये निलम्बित कर सकेगी। उक्त सदस्य, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष निलम्बन की अवधि के दौरान बोर्ड की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेगा।

12. अध्यक्ष के कर्तव्य—अध्यक्ष का कर्तव्य होगा कि वह,—

(क) जब तक इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबन्धित नहीं है या युक्तियुक्त कारणों से निवारित नहीं किया जाय—

(i) बोर्ड की समस्त बैठकें आयोजित करे और उन सबका सभापतित्व करे; तथा

(ii) तदर्थ बनाए जाने वाले किन्हीं विनियमों के अनुसार बोर्ड की समस्त बैठकों में कार्य सम्पादन का अन्यथा नियंत्रण करे ;

(ख) बोर्ड के वित्तीय तथा कार्यपालिक प्रशासन का अधीक्षण तथा नियन्त्रण करे तथा उसमें किसी दोष की ओर उसका ध्यान दिलाये; और

(ग) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जिनकी उससे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या अधीन अपेक्षा की गई है अथवा उस पर अधिरोपित किये गये हैं।

13. बोर्ड की प्रतिवेदन आदि की अपेक्षा करने की शक्ति.—(1) बोर्ड अध्यक्ष से—

(क) बोर्ड के प्रशासन से सम्बद्ध किसी मामले के सम्बन्ध में कोई प्रविवरण, विवरण, अनुमान, आंकड़े या अन्य सूचना;

(ख) ऐसे किसी भी मामले पर प्रतिवेदन या स्पष्टीकरण; तथा

(ग) ऐसे किसी अभिलेख, पत्र-व्यवहार, योजना या अन्य दस्तावेज जो अध्यक्ष के रूप में उसके कब्जे में या नियंत्रणाधीन हैं या जो बोर्ड के किसी कर्मचारी के कार्यालय में अभिलिखित या फाइल किया गया है, की प्रतिलिपि;

करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) अध्यक्ष उप-धारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपेक्षा का कोई अनुचित किये बिना अनुपालन करेगा।

4. अध्यक्ष द्वारा अपनी शक्तियों एवं कर्तव्यों का उपाध्यक्ष को प्रत्यायोजन.—(1) सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा उपाध्यक्ष को, अपने नियंत्रण के अधीन किसी एक या शक्तियों, कर्तव्यों या कृत्यों का प्रयोग करने हेतु सक्षम कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अध्यक्ष द्वारा किसी आदेश में उपाध्यक्ष द्वारा किसी प्रयोग, किसी कर्तव्य के पालन या किसी कृत्य के निर्वहन किये जाने के सम्बन्ध में, कोई शर्त तथा कोई निर्बन्धन अधिरोपित किये जा सकेंगे।

(3) विशेषतः उक्त आदेश में यह शर्त रखी जा सकेगी कि उपाध्यक्ष द्वारा उप-धारा (1) द्वारा उसको दी गई किसी शक्ति के प्रयोग में पारित कोई भी आदेश, अध्यक्ष द्वारा, उसको किसी विनिर्दिष्ट समय के भीतर, अपील की जाने पर, विखण्डित या उपान्तरित किया जा सकेगा।

15. उपाध्यक्ष के कर्तव्य.—उपाध्यक्ष—

(क) बोर्ड की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में तथा जब तक युक्तियुक्त कारणों द्वारा निवारित न किया जाय, उक्त बैठक का सभापतित्व करेगा, वहां कार्य-संचालन का विनियमन करेगा तथा व्यवस्था बनाए रखेगा तथा प्रवर्तित करेगा;

(ख) अध्यक्ष का पद रिक्त रहने के दौरान या अध्यक्ष की अक्षमता या अस्थायी अनुपस्थिति में, अध्यक्ष के किसी भी अन्य कर्तव्य का पालन या किसी भी अन्य शक्ति का प्रयोग करेगा; तथा

(ग) किसी भी समय, जब अवसर आये, धारा 14 के अधीन अध्यक्ष द्वारा उसको प्रत्यायोजित किसी भी कर्तव्य का पालन तथा शक्ति का प्रयोग करेगा।

16. चुनाव न होने की दशा में सदस्यों का नाम-निर्देशन.—यदि धारा 4 में निर्दिष्ट कोई चुनाव निकाय, ऐसी तारीख तक जो विहित की जाए, अपेक्षित संख्या में किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों को चुनने या किसी रिक्ति को भरने में असफल रहता है तो राज्य सरकार बोर्ड की सिफारिश पर ऐसी रिक्ति या रिक्तियों की ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के, जो समुचित चुनाव निकाय द्वारा चुने जाने के लिए योग्य हैं, नाम-निर्देशन द्वारा पूर्ति कर लेगी।

17. सदस्यता के लिए अयोग्यताएं.—कोई भी व्यक्ति बोर्ड का सदस्य चुने जाने या नाम-निर्देशित किये जाने या होने के लिये अयोग्य होगा, यदि—

(क) वह किसी न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिये कारावास से दंडित किया जा चुका है जिसमें नैतिक पतन सन्निहित है या जो बोर्ड की राय में, चरित्र का ऐसा कोई दोष बताता है जिससे कि रजिस्टर में उसके नाम की प्रविष्टि या उसका उसमें जारी रहना अवांछनीय बन जायेगा और दंडादेश, बाद में अपील या पुनरीक्षण में उलट नहीं दिया गया है या ऐसे किसी आदेश द्वारा जो राज्य सरकार देने के लिये सक्षम है यदि वह उचित समझे, उसमें छूट नहीं दी जा चुकी है;

(ख) बोर्ड ने जांच के पश्चात् (जिसमें उक्त व्यक्ति को अपने बचाव में या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्रतिनिधि द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जा चुका है) बैठक में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों में से दो तिहाई के बहुमत से, उसे अपनी वृत्ति के सम्बन्ध में, जघन्य आचरण का दोषी पाया है ;

(ग) वह अनुन्मुक्त दिवालिया है;

(घ) वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त होना अधिनिर्णित किया जा चुका है;

(ङ) वह राज्य सरकार या किसी स्थानीय सत्ता का पदच्युत् किया गया कर्मचारी है ;

(च) वह किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय करने से विवर्जित किया गया है ;

(छ) वह बोर्ड के दान या नियंत्रण के अन्तर्गत कोई लाभ का पद धारण करता है;

(ज) विधि-व्यवसायी होने के नाते, वह बोर्ड के विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही, सिविल अथवा आपराधिक, में पैरवी करता है; अथवा

(झ) उसने बोर्ड के साथ, द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी संविदा में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वतः अथवा किसी भागीदार द्वारा कोई अंश अथवा हित अर्जित किया है।

18. चुनाव आदि की अधिसूचना.—इस अधिनियम के अधीन चुने गए अथवा नाम-निर्देशित किये गये बोर्ड के प्रत्येक सदस्य, उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष का तथा ऐसे भी प्रत्येक सदस्य, उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष का नाम जिसने धारा 8 के अधीन पद-त्याग कर दिया है अथवा धारा 10 के अधीन अपना पद खाली कर दिया है या जो धारा 11 के अधीन उससे हटा दिया गया है, राज-पत्र में अधिसूचित किया जायेगा।

19. भत्तों का संदाय.—(1) बोर्ड के सदस्यों को ऐसे यात्रा तथा दैनिक भत्ते दिये जायेंगे जो विहित किये जायें।

(2) अध्यक्ष से भिन्न किसी सदस्य को कोई वेतन नहीं मिलेगा।

(3) अध्यक्ष, ऐसा वेतन, भत्ते अथवा परिलाभ प्राप्त कर सकेगा जो विहित किये जायें।

20. बोर्ड की बैठकें.—(1) बोर्ड की बैठक उसके जयपुर स्थित कार्यालय में अथवा ऐसे अन्य स्थान पर तथा ऐसे समय पर होगी तथा प्रत्येक बैठक ऐसी रीति से आयोजित की जायेगी जैसा बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा उपबन्धित किया जाय।

(2) बोर्ड की किसी बैठक में, जब तक चार सदस्य उपस्थित न हों, कोई कार्य नहीं किया जायेगा :

परन्तु जब किसी बैठक में गणपूर्ति के अभाव में, किसी कार्य को मुल्तवी करना आवश्यक है तो अध्यक्ष उक्त बैठक को अन्य किसी तारीख के लिए स्थगित कर देगा तथा गणपूर्ति के अभाव में मुल्तवी किया गया कार्य उक्त तारीख को अथवा बैठक के और किसी पश्चात्वर्ती तारीख के लिये स्थगित की जाने की दशा में, उक्त पश्चात्वर्ती तारीख को, उपस्थित सदस्यों की संख्या में कोई कमी होने पर भी किया जायेगा।

(3) बोर्ड की प्रत्येक बैठक जनता के लिए खुली रहेगी जब तक कि उसके अध्यक्ष का यह विचार न हो कि उक्त संपूर्ण बैठक अथवा उसके किसी भाग के दौरान जनता को अलग रखा जाना चाहिये।

21. बैठक का अध्यक्ष.—यदि किसी अधिवेशन में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं हैं तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को उक्त बैठक का सभापति बनाने के लिए चुन लेंगे तथा उक्त सभापति बैठक का सभापतित्व करते समय, बोर्ड के अध्यक्ष के समस्त कर्तव्यों का पालन करेगा, तथा उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

22. बैठक में व्यवस्था बनाये रखने की अध्यक्ष की शक्ति.—जहां बोर्ड की किसी बैठक में, कोई सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति अध्यक्ष के किसी ऐसे निदेश का अनुपालन करने से इन्कार करता है जो किसी कार्य अथवा मामले को नियम विरुद्ध ठहरायें अथवा जो सदस्यों के आचरण या कार्य का अन्यथा विनियमन करे अथवा जहां कोई सदस्य अथवा व्यक्ति जानबूझ कर बैठक में विघ्न डालता है तो अध्यक्ष उक्त सदस्य अथवा व्यक्ति से उक्त बैठक से चले जाने की अपेक्षा कर सकेगा तथा उसके ऐसा न करने पर उसे बैठक से हटाने तथा निकालने के प्रयोजनार्थ उसके विरुद्ध ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो आवश्यक हो, अथवा जिसे वह सद्भावपूर्वक आवश्यक समझे ।

23. बोर्ड द्वारा विनिश्चय.—(1) इस अधिनियम में अथवा तदधीन बनाये गये नियम अथवा विनियमों में जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, समस्त प्रश्न, जो बोर्ड की बैठक के समक्ष रखे जायें, उपस्थित एवं मतदाता सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे ।

(2) बराबर मत आने की दशा में उक्त बैठक का अध्यक्ष दूसरा अथवा निर्णायक मत दे सकेगा ।

24. कार्य-वृत्त पुस्तक तथा संकल्प.—(1) बोर्ड की किसी बैठक में विद्यमान सदस्यों के नाम, तथा उसमें की गई कार्यवाहियां एवं पारित संकल्प एक पुस्तक में प्रविष्ट किये जायेंगे जो कार्य-वृत्त पुस्तक कहलायेगी ।

(2) कार्य-वृत्त बैठक में अथवा उसकी अगली बैठक में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा पढ़कर सुनाते समय उपस्थित सदस्यों द्वारा (उनके बहुमत से) उसके सही होने के रूप में पारित किये जाने के पश्चात् उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से पारित प्रमाणित किया जायेगा, जिसमें कि वह पारित किया गया है ।

(3) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों की एक प्रति उस बैठक की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, राज्य सरकार को अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके लिये नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी को भेजी जायेगी ।

25. सलाहकार समिति की स्थापना.—(1) बोर्ड, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनाये गये नियमों के अधीन, इस अधिनियम में उपबन्धित किसी प्रयोजन के लिये इस निमित्त संकल्प द्वारा सात सदस्यों की एक सलाहकार समिति नियुक्त कर सकेगा जिसमें से तीन बोर्ड के सदस्य तथा चार सहयोजित सदस्य होंगे तथा वह संयोजक भी नियुक्त कर सकेगा जो उक्त समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा । संयोजक की अनुपस्थिति में समिति अपने सदस्यों में से किसी एक को इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित कर लेगी ।

(2) समिति की बैठक में समस्त प्रश्न उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे । बराबर मत आने की दशा में सभापतित्व करने वाले व्यक्ति का मत निर्णायक होगा ।

(3) समिति की किसी बैठक में जब तीन से कम सदस्य हों तो कोई कार्य नहीं किया जाएगा ।

(4) समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां बोर्ड के समक्ष रखी जायेंगी, जो उन पर ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे ।

(5) सलाहकार समिति के सदस्यों को ऐसा यात्रा तथा अन्य भत्ते दिये जायेंगे जो धारा 19 के अधीन बोर्ड के सदस्यों को संदेय हों।

26. कार्यवाहियों की विधिमान्यता.—(1) बोर्ड में अथवा बोर्ड की किसी समिति में कोई भी रिक्ति बोर्ड अथवा उक्त समिति के किसी कार्य अथवा कार्यवाहियों को दूषित नहीं करेगी।

(2) बोर्ड के सदस्यों के रूप में अथवा उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति अथवा किसी बैठक का सभापतित्व करने वाले व्यक्ति की कोई अयोग्यता अथवा उसके निर्वाचन या नामनिर्देशन में कोई दोष बोर्ड के किसी कार्य अथवा कार्यवाही को, जिसमें उक्त व्यक्ति भाग ले रहा है, दूषित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

अध्याय III

कर्मचारीवृन्द तथा रजिस्ट्रीकरण

27. बोर्ड का रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी और सेवक.—(1) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगा :

परन्तु रजिस्ट्रार की प्रथम नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जा सकेगी।

(2) रजिस्ट्रार ऐसा वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा तथा सेवा की ऐसी अन्य शर्तों द्वारा शासित होगा जो विहित की जायें। अध्यक्ष, रजिस्ट्रार को समय-समय पर, अवकाश मंजूर कर सकेगा तथा उसके अवकाश-काल अथवा अनुपस्थिति में उसके स्थान पर, कार्य करने के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति से, किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा तथा रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए इस प्रकार नियुक्त कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रार होना समझा जायेगा।

(3) बोर्ड अथवा उसके अध्यक्ष द्वारा पारित किसी व्यक्ति को दंड देने वाले या रजिस्ट्रार के पद से किसी व्यक्ति को हटाने वाले प्रत्येक आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील होगी।

(4) रजिस्ट्रार बोर्ड का सचिव तथा कार्यपालक अफसर भी होगा।

(5) बोर्ड उतने अन्य अधिकारी तथा सेवक नियुक्त कर सकेगा जितने इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(6) उप-धारा (5) के अधीन नियुक्त अधिकारियों तथा सेवकों की संख्या, पदनाम, वेतन तथा भत्तों, भर्ती, पदोन्नतियों, अवकाश, भविष्य-निधि तथा सेवा की अन्य शर्तों सम्बन्धी समस्त प्रश्न राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा शासित होंगे।

(7) इस धारा के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार तथा किसी अन्य अधिकारी अथवा सेवक को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम, 45), की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

28. रजिस्टर का रखा जाना.—(1) बोर्ड अपने गठन के डेढ़ वर्ष के भीतर होमियोपैथों का एक रजिस्टर तैयार करायेगा।

(2) उक्त रजिस्टर बोर्ड द्वारा ऐसी रीति से बनाये रखा जायेगा जो विहित की जाय।

29. रजिस्ट्रार के कर्तव्य.—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन तथा राज्य-सरकार अथवा बोर्ड, यथास्थिति, के किन्हीं सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अध्यधीन, रजिस्ट्रार का उक्त रजिस्टर के बनाये रखने तथा ऐसे अन्य कार्य करने का कर्तव्य होगा, जिनका उससे इस अधिनियम अथवा तदधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के अधीन करना अपेक्षित है।

(2) रजिस्ट्रार उक्त रजिस्टर को यथासाध्य सही तथा अद्यतन रूप से बनाये रखेगा तथा समय-समय पर उसमें रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथों के पतों अथवा उनकी अर्हताओं संबंधी किन्हीं तात्विक परिवर्तनों को प्रविष्ट कर सकेगा। वह रजिस्टर में से ऐसे रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथों के नाम भी हटायेगा जो मर जायें अथवा जो उक्त रूप में अर्हित न रहें।

30. रजिस्ट्रीकृत होने के हकदार व्यक्ति.—(1) अनुसूची में वर्णित अर्हताओं में से कोई भी अर्हता रखने वाला व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन अपना नाम रजिस्टर में प्रविष्ट कराने का हकदार होगा।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होने पर भी, प्रत्येक चिकित्सा व्यवसायी, जो विहित रीति में यह साबित कर देता है कि वह राज्य में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से कम से कम ठीक तीन वर्ष पूर्व से ही होमियोपैथिक पद्धति की चिकित्सा का नियमित चिकित्सा-व्यवसाय करता रहा है, उक्त प्रारम्भ से डेढ वर्ष के भीतर रजिस्टर में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए अपने द्वारा किये गये आवेदन पर, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन अपना नाम रजिस्टर में प्रविष्ट कराने का हकदार होगा :

परन्तु उपर्युक्त विहित समय के भीतर भारत में अथवा भारत के बाहर किसी डाक घर में परिदत्त आवेदन विहित समय के भीतर किये गये माने जायेंगे।

(2-क) शंकाओं के निराकरण के लिये यह घोषित किया जाता है कि रजिस्ट्रार के लिये स्वप्रेरणा से अथवा उसको किये गये आवेदन पर ऐसे आवेदनों का, जिन्हें उनके विहित समय के भीतर नहीं किये जाने के आधार पर नामंजूर कर दिया गया था, पुनर्विलोकन करना विधि-पूर्ण होगा।

(3) उप-धारा (1) अथवा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन पचास रुपये रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ किया जायेगा। ऐसी फीस किसी भी परिस्थिति में लौटाई नहीं जायेगी।

(4) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन रजिस्ट्रार को किये जायेंगे तथा उसके द्वारा निपटाये जाएंगे।

(5) रजिस्टर में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण, अथवा उसमें कोई प्रविष्टि करने अथवा वहां से हटाने के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति उक्त विनिश्चय

की तारीख से नब्बे दिन के भीतर या ऐसे बढाए गए समय के भीतर, जिसके लिये बोर्ड पर्याप्त कारण से अनुमति दे, बोर्ड को अपील कर सकेगा।

(6) बोर्ड द्वारा उक्त अपील विहित रीति से सुनी तथा विनिश्चित की जायेगी।

(7) बोर्ड स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यक्ति के आवेदन पर तथा सम्बन्धित व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांगने तथा उस पर विचार करने के पश्चात् रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को रद्द या परिवर्तित कर सकेगा, यदि बोर्ड की राय में उक्त प्रविष्टि कपट पूर्वक अथवा गलती से कर दी गई थी अथवा करवा दी गई थी।

31. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण.—(1) प्रत्येक रजिस्टर्ड होमियोपैथ उस तारीख से, जिसको उसका नाम रजिस्ट्रीकृत किया गया है, तीन वर्ष की कालावधि तक चिकित्सा व्यवसाय करने का हकदार होगा तथा यदि वह उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् चिकित्सा व्यवसाय चालू रखने का इच्छुक है तो वह प्रत्येक तीन वर्ष की कालावधि के लिये पच्चीस रुपया नवीकरण शुल्क के साथ रजिस्ट्रार को आवेदन करने पर अपने नाम को रजिस्टर में बनाये रखने का हकदार होगा।

(2) यदि नवीकरण शुल्क सम्यक् तारीख से पहले संदत्त नहीं किया जाय तो रजिस्ट्रार व्यतिक्रमी का नाम रजिस्टर में से हटा देगा :

परन्तु इस प्रकार हटाया गया नाम ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो विहित की जाएं, नवीकरण शुल्क का संदाय करने पर रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट कर दिया जाएगा।

32. रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ उपाधि आदि को मान्यता देने की बोर्ड की शक्ति.—यदि बोर्ड का समाधान हो जाता है—

(क) कि भारत में अथवा भारत के बाहर किसी विश्वविद्यालय, मेडिकल कारपोरेशन, परीक्षा निकाय अथवा अन्य संस्था द्वारा दी गई कोई उपाधि अथवा डिग्री या प्रमाणित अर्हता इस बात के लिये पर्याप्त गारंटी है कि उक्त उपाधि, डिग्री अथवा अर्हता रखने वाले व्यक्ति दक्षतापूर्वक होमियोपैथिक चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए अपेक्षित ज्ञान तथा कौशल रखते हैं, अथवा

(ख) कि उक्त कोई उपाधि, डिग्री अथवा अर्हता यथापूर्वोक्त रूप में पर्याप्त गारंटी नहीं है,

तो वह निदेश दे सकेगा कि—

(i) (क) की दशा में, उक्त उपाधि, डिग्री अथवा अर्हता इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन तथा ऐसी फीस, जो विहित की जाय, के संदाय पर किसी व्यक्ति को अपना नाम रजिस्टर में प्रविष्ट कराने का हकदार बनायेगी, अथवा

(ii) (ख) की दशा में उक्त उपाधि, डिग्री अथवा अर्हता किसी व्यक्ति को अपना नाम रजिस्टर में प्रविष्ट कराने का हकदार नहीं बनायेगी।

33. संस्थाओं से सूचना मांगने की बोर्ड की शक्ति.—बोर्ड को अनुसूची में सम्मिलित अथवा सम्मिलित होने के इच्छुक किसी मेडिकल कारपोरेशन, परीक्षा निकाय या अन्य संस्था के

शासी-निकाय या प्राधिकारी से—

(क) ऐसी रिपोर्ट, विवरणी या अन्य सूचना देने, जो बोर्ड, होमियोपैथी में दिये जाने वाले शिक्षण की दक्षता के सम्बन्ध में निर्णय करने हेतु उसे समर्थ बनाने के लिये अपेक्षा करे, और

(ख) बोर्ड के किसी सदस्य को, जो उसके द्वारा इस निमित्त प्रतिनियुक्त किया जाय, उक्त मेडिकल कारपोरेशन, परीक्षा निकाय अथवा अन्य संस्था द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में उपस्थित होने के लिये समर्थ बनाने हेतु सुविधाओं की व्यवस्था करने,

की मांग करने की शक्ति होगी ।

34. रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदकों से अपेक्षित सूचना.—प्रत्येक व्यक्ति को, जो रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने के लिये आवेदन करता है, रजिस्ट्रार का समाधान करना होगा कि वह अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई डिग्री, उपाधि अथवा अर्हता धारण करता है और उसे रजिस्ट्रार को वह तारीख भी सूचित करनी होगी, जिसको कि उसने उक्त डिग्री, उपाधि या अर्हता अभिप्राप्त की थी जो कि उसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये जाने का दावा करने का हकदार बनाती है तथा वह रजिस्ट्रार द्वारा उसे अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये समर्थ बनाने हेतु, अपेक्षित कोई अन्य सूचना भी प्रस्तुत करेगा ।

35. नई उपाधियों तथा अर्हताओं की प्रविष्टि.—यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट है, ऐसी उपाधि, डिग्री अथवा अर्हता, जिसके संबंध में वह रजिस्ट्रीकृत किया गया है, से भिन्न कोई उपाधि, डिग्री अथवा अर्हता अभिप्राप्त करता है तो वह ऐसी फीस, जो पांच रुपये से अनधिक हो, जैसी विहित की जाय, के संदाय पर रजिस्टर में अपने नाम के सामने, या तो पहले की गई किसी प्रविष्टि के बदले में या उसमें परिवर्धन करते हुए, उक्त अन्य उपाधि, डिग्री अथवा अर्हता बताने वाली प्रविष्टि करवाने का हक़दार होगा ।

36. रजिस्टर में प्रविष्टि के प्रतिषेध करने अथवा उसमें से प्रविष्टि हटाने का निदेश देने की बोर्ड की शक्ति.—(1) बोर्ड रजिस्टर में ऐसे किसी होमियोपैथ के नाम की प्रविष्टि का प्रतिषेध कर सकेगा अथवा उसमें से उसे हटाने का आदेश दे सकेगा—

(क) जो भारत में किसी न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिये कारावास से दण्डादिष्ट किया जा चुका है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा ऐसी नैतिक अधमता सन्निहित होना घोषित किया गया है जो उक्त रजिस्टर में उसके नाम की प्रविष्टि को अथवा उसमें उसके नाम को बनाये रखना अवांछनीय बना दे, अथवा

(ख) जिसे बोर्ड अथवा इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से प्राधिकृत बोर्ड की किसी समिति ने, जांच के पश्चात् (जिसमें उसे अपनी प्रतिरक्षा में सुनवाई का तथा स्वयं अथवा परामर्शी के जरिये उपस्थित होने का अवसर दिया जा चुका है और जो बोर्ड के स्वविवेकानुसार गुप्त रूप से की जा सकेगी) बैठक में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से वृत्तिक अवचार अथवा अन्य जघन्य आचरण का दोषी पाया है ।

(ग) जिसके बारे में बोर्ड अथवा इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से गठित बोर्ड की किसी समिति द्वारा, जांच के उपरान्त तथा संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह पाया गया है कि उसने रजिस्ट्रीकरण कपटपूर्वक अथवा मिथ्या

या कूटरचित या गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके अथवा दुर्व्यपदेशन के आधार पर अथवा प्रवंचना तथा बेईमानी के साधनों का उपयोग करके अभिप्राप्त किया है।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उप-धारा (1) के खंड (क) अथवा (ख) के अधीन आदेश दिया गया है, का नाम रजिस्टर में प्रविष्ट या पुनः प्रविष्ट, यथास्थिति, ऐसे आदेश की तारीख से छः वर्ष पश्चात् किया जायेगा।

37. मृत्यु का नोटिस तथा रजिस्टर से नामों का मिटाना.—(1) प्रत्येक मृत्यु-रजिस्ट्रार, जिसे ऐसे किसी व्यक्ति की मृत्यु का नोटिस मिलता है जिसका नाम वह जानता है कि होमियोपैथों के रजिस्टर में प्रविष्ट है, उक्त मृत्यु का, मृत्यु के समय तथा स्थान के ब्यौरे देते हुये बोर्ड के रजिस्ट्रार को डाक से अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण-पत्र तत्काल भेजेगा।

(2) उक्त प्रमाण-पत्र अथवा उक्त मृत्यु सम्बन्धी अन्य विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर बोर्ड रजिस्टर में से मृत व्यक्ति का नाम मिटवायेगा।

38. जांच की प्रक्रिया:—धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन की गई किसी जांच के प्रयोजनार्थ, बोर्ड अथवा समिति, यथास्थिति, केन्द्रीय विधान मंडल के पब्लिक सर्वेन्ट्स (इन्क्वायरीज) एक्ट, 1850 के अधीन नियुक्त कोई आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करेगी और उक्त एक्ट की धारा 5, 8 से 10, 14 से 16, 19 तथा 20 के उपबन्ध, यथासम्भव उक्त प्रत्येक जांच, उसके अनुक्रम में पारित किसी आदेश तथा उक्त आदेश की किसी अपील पर लागू होंगे।

39. रजिस्टर में प्रविष्ट नामों का प्रकाशन.—(1) रजिस्ट्रार प्रति वर्ष और समय-समय पर, जैसे अवसर अपेक्षित करें, बोर्ड द्वारा एतदर्थ नियत की जाने वाली किसी तारीख को अथवा तत्पूर्व राज-पत्र में तथा ऐसी अन्य रीति से, जो बोर्ड विहित करे, रजिस्टर में तत्समय प्रविष्ट नामों को वर्ण क्रमानुसार एक पूरी अथवा अनुपूरक सूची प्रकाशित करायेगा जिसमें निम्नलिखित बातें उपवर्णित होंगी :—

(क) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का, जिसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट है, रजिस्ट्रीकृत पता और उसके द्वारा धारित नियुक्ति अथवा वास्तविक नियोजन, और

(ख) उक्त प्रत्येक व्यक्ति की रजिस्ट्रीकृत उपाधियां, डिग्रियां और अर्हतायें तथा ऐसी तारीख जिसको उक्त प्रत्येक उपाधि या डिग्री दी गई थी अथवा अर्हता प्रमाणित की गई थी :

परन्तु रजिस्ट्रार समय-समय पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथों के नाम, जिनके नाम इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन रजिस्टर में से सम्यक् रूप में हटाये जा चुके हैं, राज-पत्र में प्रकाशित करवायेगा।

(2) किसी भी कार्यवाही में यह माना जायेगा कि उक्त सूची में प्रविष्ट प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथ है :

परन्तु ऐसे व्यक्ति की स्थिति में जिसका नाम रजिस्टर में सूची के अन्तिम प्रकाशन के

हैं या ऐसे अन्य क्षेत्रों के लिए जिनमें वे एतस्मिन पश्चात् पद

पश्चात् प्रविष्ट किया गया है, रजिस्टर में उक्त व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रति इस बात का साक्ष्य होगी कि उक्त व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और उक्त प्रमाण-पत्र निःशुल्क जारी किया जायेगा।

अध्याय- IV

बोर्ड के कार्य तथा वित्त साधन

40. बोर्ड की शक्तियां.—बोर्ड को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:—

(i) होमियोपैथिक शिक्षा अथवा शिक्षण संस्थाओं को संबद्ध किये जाने के प्रयोजनार्थ मान्यता देना ;

(ii) बोर्ड से सम्बद्ध संस्थानों में होमियोपैथी-चिकित्सा विज्ञान की ऐसी शाखाओं में, जो बोर्ड उचित समझे, सामान्य शिक्षण अथवा विशेष या रिफ्रेशर कोर्सों के लिये पाठ्यक्रम और पाठ्य-विषय विहित करना ;

(iii) परीक्षायें लेना तथा ऐसे व्यक्तियों को तथा उन पर जो बोर्ड से संबद्ध किसी शिक्षा संस्था में पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रहे हों, डिग्री देना और डिप्लोमा प्रदान करना ;

(iv) प्रदर्शनियां लगाना और पदक देना, ऐसे व्यक्तियों को छात्रवृत्ति और पदक अनुदत्त करना जो बोर्ड की परीक्षाओं में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं अथवा जो गरीब तथा सुपात्र हैं, और राज्य सरकार की स्वीकृति से किसी ऐसी चिकित्सा संस्था अथवा ख्याति प्राप्त फर्म में, जिन्हें बोर्ड ठीक समझे, अनुसन्धान कार्य में विशेष अध्ययन तथा होमियोपैथी की औषधियों के विनिर्माण के लिये छात्रवृत्तियां देना और बोर्ड से संबद्ध संस्थाओं में होमियोपैथी सम्बन्धी चेयरों के लिये विनिदान करना;

(v) विद्यार्थियों से ऐसी फीस की मांग करना और उसे प्राप्त करना जो बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश पाने के लिये विहित की जाय ;

(vi) बोर्ड से संबद्ध शिक्षा संस्थाओं द्वारा किये गये आवास तथा अनुशासन सम्बन्धी प्रबन्धों का सामान्य अधीक्षण करना और उनके विद्यार्थियों के स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण को प्रोन्नत करने के लिये प्रबन्धन करना ;

(vii) परीक्षकों की नियुक्ति करना और अपने द्वारा ली गई परीक्षाओं के परीक्षा-फल प्रकाशित करना;

(viii) ऐसी किसी संस्था की मान्यता को निलम्बित करना अथवा वापस लेना जो इस अधिनियम अथवा उसके अधीन विरचित नियमों या विनियमों द्वारा विहित शर्तों के अनुसार संचालित नहीं की जाती है:

परन्तु उक्त कोई भी कार्यवाही उक्त शिक्षा संस्था की प्रबंध समिति को ऐसा अभ्यावेदन जो वह ठीक समझे, करने का अवसर दिये बिना, नहीं की जायेगी ;

(ix) राज्य-सरकार की पूर्व स्वीकृति से राज्य में होमियोपैथी के औषधालयों, अस्पतालों तथा शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिये निरीक्षक नियुक्त कराना ;

(x) XXXXविलोपितXXXX

(xi) अनुसंधान संस्थाओं को स्थापित करना अथवा उन्हें सहायता देना, होमियोपैथी-विज्ञान में स्नातकोत्तर-अध्ययन के लिये प्रबंध करना तथा राज्य में होमियोपैथी की औषधियों के वैज्ञानिक विनिर्माण को प्रोत्साहन देना ;

(xii) होमियोपैथी पत्रिकायें प्रकाशित करना;

(xiii) ऐसे कार्य करना जो इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबन्धों से असंगत न हों तथा जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हों;

(xiv) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से स्थाई अथवा तदर्थ समितियां नियुक्त करना, ऐसी समितियों को किसी निबंन्धन के अध्यधीन, अपनी कोई भी शक्ति तथा कृत्य प्रत्यायोजित करना तथा ऐसी समितियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का अवधारण करने के लिये विनियम बनाना।

41. बजट.—(1) बोर्ड प्रति वर्ष होने वाली बैठक में ऐसी तारीख से पूर्व जो विहित की जाय, उक्त तारीख से ठीक आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के वास्तविक और संक्षिप्त आय-व्ययक का एक पूर्ण लेखा तथा आगामी 1 अप्रेल से प्रारंभ होने वाले वर्ष के लिये बोर्ड की आय तथा व्यय के बजट अनुमान तैयार करायेगा और अपने समक्ष प्रस्तुत करायेगा।

(2) बोर्ड उक्त बैठक में बजट अनुमान में अन्तर्विष्ट विनियमों और अर्थोपायों पर विनिश्चय करेगा और बजट पारित करेगा जो राज्य सरकार को अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जिसका राज्य सरकार आदेश द्वारा निदेश दे, ऐसी बैठक की, जिसमें बजट पारित किया गया है, तारीख से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि उसमें इससे अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील बनाने के लिये पर्याप्त उपबन्ध नहीं किया गया है तो उसे ऐसे उपान्तरणों के सुझाव देने, में, जो उक्त उपबन्ध किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हों और उसमें किये जाने वाले उपान्तरणों के विषय में अपनी टिप्पणी सहित, बजट वापस करने की शक्ति प्राप्त होगी। बोर्ड उक्त टिप्पणी पर विचार करेगा और बजट को ऐसे उपान्तरणों सहित पारित करेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(4) यदि किसी वर्ष के दौरान बोर्ड अपनी प्राप्तियों अथवा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ व्यय की जाने वाली राशियों के वितरण के संबंध में बजट में दिये गये अंकों को उपान्तरित करना आवश्यक समझे तो उप-धारा (1), (2) तथा (3) में उपबन्धित रीति से एक अनुपूरक बजट तैयार, पारित, प्रस्तुत तथा उपान्तरित किया जा सकेगा।

(5) प्रति वर्ष 1 अक्टूबर के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, वर्ष का पुनरीक्षित बजट बनाया जायेगा और उक्त पुनरीक्षित बजट, यथाशक्य, पूर्वगामी उप-धाराओं के उन समस्त उपबन्धों के अधीन होगा, जो बजट पर लागू होते हैं।

हैं या ऐसे अन्य क्षेत्रों के लिए जिनमें वे

42. होमियोपैथिक निधि .—(1) एक होमियोपैथिक निधि स्थापित की जायेगी जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त निधि के रूप में निर्दिष्ट किया गया है ।

(2) उक्त निधि में–

(क) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान और ऋण,

(ख) बोर्ड द्वारा होमियोपैथों के रजिस्ट्रीकरण तथा बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश देने के कारण प्राप्त समस्त फीस,

(ग) किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी होमियोपैथिक संगम से प्राप्त अंशदान, तथा

(घ) बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से पूर्ववर्ती खण्डों में वर्णित स्रोतों से भिन्न स्रोतों से प्राप्त समस्त राशियां;

जमा की जायेगी ।

(3) उक्त निधि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए और ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, काम में ली जायेगी ।

(4) बोर्ड के खर्चों में रजिस्ट्रार तथा बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारीवृन्द के वेतन और भत्ते बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों को संदत्त फीसें तथा भत्ते, परीक्षाओं के संचालनार्थ खर्च तथा ऐसे अन्य खर्चे जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक हैं, सम्मिलित होंगे ।

43. निधि की अभिरक्षा तथा उसका प्रचालन .—(1) होमियोपैथिक निधि किसी अनुसूचित बैंक में रखी जायेगी तथा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति से प्रचालित की जायेगी जो विहित की जाय ।

(2) बोर्ड के चालू खर्चे के लिये रजिस्ट्रार के पास अग्रिम धन के रूप में ऐसी राशि रखी जा सकेगी जो राज्य सरकार पर्याप्त समझे ।

44. लेखे तथा संपरीक्षा :—(1) बोर्ड ऐसे लेखे रखेगा तथा राज्य सरकार को ऐसे विवरण प्रस्तुत करेगा जो विहित किये जायें ।

(2) बोर्ड की प्राप्तियों तथा व्यय के लेखे प्रत्येक वित्तीय-वर्ष के लिये ऐसे प्रारूप में रखे जायेंगे जो विहित किये जायें ।

(3) बोर्ड द्वारा रखे गये समस्त लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य के परीक्षक, स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा संपरीक्षित किये जायेंगे तथा राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम, 28) के उपबन्ध लागू होंगे ।

(4) बोर्ड ऐसे समस्त निदेशों का अनुपालन करने हेतु बाध्य होगा जो राज्य सरकार उसके लेखाओं के संबंध में संपरीक्षा रिपोर्ट देखने के पश्चात् जारी करना उचित समझे ।

(5) बोर्ड होमियोपैथिक निधि में से ऐसी राशि संपरीक्षा प्रभारों के रूप में देगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय ।

अध्याय V

होमियोपैथों के विशेषाधिकार

45. अर्हित चिकित्सा-व्यवसायी का प्रमाण पत्र.—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी—

(1) अभिव्यक्ति "वैध रूप से अर्हित चिकित्सा-व्यवसायी" अथवा "सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी" अथवा ऐसे किसी शब्द में, जिसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति विधि द्वारा चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा व्यवसाय के सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त है, राजस्थान की समस्त विधियों में तथा केन्द्रीय विधान मण्डल के समस्त अधिनियमों में, (जहां तक वे राजस्थान राज्य पर लागू होते हैं) जहां तक कि उक्त विधियों या अधिनियमों का, भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची II या सूची III में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी भी मामले से संबंध है, कोई रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथ भी सम्मिलित समझा जायेगा;

(2) यदि किसी विधि अथवा विधि का बल रखने वाले नियम के अधीन किसी चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षित कोई प्रमाण-पत्र किसी रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथ द्वारा दिया गया है तो वह प्रमाण-पत्र विधि मान्य होगा;

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथ राज्य सरकार द्वारा समर्थित अथवा उससे अनुदान प्राप्त करने वाले किसी होमियोपैथिक औषधालय, अस्पताल, रुग्णालय या प्रसवालय में अथवा होमियोपैथिक पद्धति से औषधियों से संव्यवहार करने वाले किसी लोक स्थापन, निकाय या संस्था में चिकित्सक, शल्य चिकित्सक या अन्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा;

(4) कोई भी रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथ निम्नलिखित के लिये हकदार होगा :—

(क) ऐसे किसी जन्म या मृत्यु के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने या उसे अभिप्रमाणित करने के लिये, जिस पर किसी सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना या उसके द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना किसी विधि या नियम द्वारा अपेक्षित किया गया है;

(ख) ऐसे किसी चिकित्सा या शारीरिक आरोग्यता प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने या उसे अधिप्रमाणित करने के लिये, जिस पर किसी सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना या उसके द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना किसी विधि या नियम द्वारा अपेक्षित किया गया है;

(ग) XXXX विलोपित XXXXX

(5) मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता रखने वाला रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथ किसी मृत्यु समीक्षा में या न्यायालय के समक्ष होमियोपैथ चिकित्सा पद्धति से संबंधित किसी विषय पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (सन् 1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित होने तथा साक्ष्य देने का पात्र होगा।

46. मृत्यु समीक्षा में कार्य करने से छूट.—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होने पर भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथिक को, यदि वह ऐसा चाहे, किसी मृत्यु-समीक्षा में या दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन जूरी के रूप में कार्य करने से छूट दे दी जायेगी।

47. 1950 के राजस्थान अधिनियम 2 के अधीन विशेषाधिकार.—रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथों को वे ही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो राजस्थान चिकित्सा अधिनियम, 1952 (1952 का राजस्थान अधिनियम 13) के अधीन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों को राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम 2) के अधीन प्राप्त हैं।

अध्याय VI

विविध

48. बोर्ड के विनिश्चयों के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील.—(1) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के प्रत्येक विनिश्चय के विरुद्ध अपील राज्य सरकार को की जा सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे विनिश्चय, जिसकी अपील की जानी है, की सूचना की तारीख से तीन मास के भीतर की जायेगी।

49. राज्य सरकार द्वारा बोर्ड का नियन्त्रण.—यदि किसी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि बोर्ड इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में विफल रहा है या उसने उसका अधिलंघन या दुरुपयोग किया है, अथवा इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा है तो राज्य सरकार, यदि वह उक्त विफलता, अधिलंघन या दुरुपयोग को गंभीर समझे, उसका विवरण बोर्ड को अधिसूचित करेगा; और यदि बोर्ड उक्त विफलता, अधिलंघन या दुरुपयोग का ऐसे समय जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियत किया जाय, के भीतर उपचार करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार बोर्ड को विघटित कर सकेगी तथा बोर्ड की समस्त या उनमें से किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन ऐसी किसी एजेन्सी द्वारा तथा ऐसी अवधि के लिये, जो वह ठीक समझे, करवा सकेगी :

परन्तु नवीन बोर्ड उक्त विघटन से दो वर्ष के भीतर गठित किया जायगा।

50. ऐसे अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो यह बताता है कि वह रजिस्ट्रीकृत है, के लिये शास्ति.—यदि कोई व्यक्ति, जितका नाम होमियोपैथों के रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं है, ऐसा झूंठा बहाना करता है कि उसका नाम इस प्रकार प्रविष्ट है अथवा अपने नाम या उपाधि के साथ ऐसे शब्द या अक्षर प्रयुक्त करता है जो यह बताते हों कि उसका नाम इस प्रकार प्रविष्ट है तो चाहे उसके इस प्रकार बताने से कोई व्यक्ति वास्तव में धोखा खाता है या नहीं, वह सिद्ध दोष ठहराये जाने पर ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा।

51. अप्राधिकृत व्यक्ति या संस्था द्वारा डिप्लोमा, अनुज्ञप्ति इत्यादि का प्रदत्त, अनुदत्त या जारी किया जाना.—(1) बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त या प्राधिकृत किसी संगम या संस्था के अलावा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई डिग्री, डिप्लोमा, अनुज्ञप्ति, प्रमाण-पत्र या अन्य विलेख, जिसमें यह कथन किया गया है या निहित है कि उसका धारक, ग्रहीता या

प्राप्तकर्ता, होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु अर्हित है, प्रदत्त, अनुदत्त या जारी नहीं करेगा या स्वयं को उसे प्रदत्त, अनुदत्त या जारी करने का हकदार होने के रूप में नहीं बतायेगा ।

(2) जो कोई इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करता है वह सिद्धदोष ठहराया जाने पर, जुर्माने से दण्डनीय होगा जो कि पांच सौ रुपयों तक का हो सकेगा और, यदि इस प्रकार का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई संगम है तो उक्त संगम का प्रत्येक सदस्य, जो जानबूझ कर और स्वेच्छा से उक्त उल्लंघन को प्राधिकृत करता है या उसकी अनुमति देता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा जो दो सौ रुपयों तक का हो सकेगा ।

52. डिग्री, डिप्लोमा इत्यादि का मिथ्या ग्रहण.—जो कोई अपने नाम के आगे स्वेच्छा से और मिथ्यारूपेण कोई उपाधि ग्रहण करता है या ऐसा वर्णन या कोई परिवर्धन प्रयुक्त करता है जिससे यह संकेत होता है कि वह बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन मान्यता-प्राप्त या प्राधिकृत किसी संगम या संस्था द्वारा प्रदत्त, अनुदत्त, या जारी की गई कोई डिग्री, डिप्लोमा, अनुज्ञप्ति या प्रमाण-पत्र ग्रहण करता है अथवा यह कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति का चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये अर्हित है, तो वह सिद्धदोष ठहराया जाने पर इस धारा के अधीन प्रथम अपराध के लिये ऐसे जुर्माने से, जो पचास रुपये तक का हो सकेगा और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिये ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

53. अधिनियम के उल्लंघन में चिकित्सा व्यवसाय करने पर शास्ति.—(1) यदि ऐसी तारीख के पश्चात्, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथ से भिन्न अथवा ऐसे व्यक्ति जिसका नाम धारा 62 के अधीन तैयार की गई तथा रखी गई सूची में प्रविष्ट है, से भिन्न कोई व्यक्ति होमियोपैथिक पद्धति की चिकित्सा का या तो सीधे अथवा विवक्षित तौर पर चिकित्सा व्यवसाय करता है अथवा स्वयं को चिकित्सा-व्यवसाय करने वाले अथवा चिकित्सा-व्यवसाय करने के लिए तैयार होने के रूप में बताता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, तथा अपराध चालू रहने की दशा में ऐसे और जुर्माने से दण्डनीय होगा जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रुपये तक का हो सकेगा जिसके दौरान अपराध उक्त प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् चालू रहता है ।

(2) यदि कोई व्यक्ति चिकित्सा व्यवसाय खैरात के लिए करता है, जीविका के लिये नहीं तो उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात उस व्यक्ति को होमियोपैथिक पद्धति की चिकित्सा का व्यवसाय करने से प्रतिसिद्ध नहीं करेगी :

परन्तु ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अध्याय V में विनिर्दिष्ट होमियोपैथों के विशेषाधिकारों का हकदार नहीं होगा ।

(3) राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस धारा के उपबन्ध सम्पूर्ण राज्य या उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र के व्यक्तियों के किसी वर्ग पर लागू नहीं होंगे ।

54. अपराधों के विचारणार्थ सक्षम न्यायालय.—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय संज्ञान या विचारण नहीं करेगा ।

(2) कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी के लिखित परिवाद के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

55. बोर्ड के अभिलेख के सबूत का ढंग.—बोर्ड के कब्जे की कोई कार्यवाही, रसीद, आवेदन, नक्शा, नोटिस, आदेश, किसी रजिस्टर की प्रविष्टि या अन्य दस्तावेज की कोई प्रतिलिपि, यदि वह रजिस्ट्रार द्वारा या इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित हो तो वह उक्त प्रविष्टियां दस्तावेज के विद्यमान होने की प्रथम दृष्ट या साक्ष्य के रूप में प्राप्त की जायेगी तथा वह उसके और उसमें प्रत्येक मामले में अभिलिखित समस्त बातों को जहां और उसी सीमा तक साक्ष्य स्वरूप ग्रहण की जायेगी जैसे कि मूल प्रविष्टि या दस्तावेज यदि प्रस्तुत किया गया होता तो उक्त बातें साबित करने हेतु ग्राह्य होता ।

56. दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु बोर्ड के कर्मचारियों को समन करने पर निर्बन्धन.—बोर्ड के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी से किसी वैधिक कार्यवाही में जिसमें बोर्ड पक्षकार नहीं है, जब तक कि विशेष कारणों से न्यायालय द्वारा आदेश न दिया जाय, कोई रजिस्टर या दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा उसमें अभिलिखित मामले साबित करने हेतु गवाह के रूप में उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

57. नियम.—(1) राज्य सरकार समय-समय पर, इसके प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी ।

(2) विशेषतः तथा पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित मामलों में से किसी के लिये भी नियम बना सकेगी, अर्थात्:—

(क) ऐसा समय और स्थान जहां पर तथा रीति जिसमें धारा 4 के अधीन निर्वाचन किये जायेंगे;

(ख) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों का विनियमन;

(ग) रजिस्ट्रार के विशेषाधिकार, वेतन तथा भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें;

(घ) बोर्ड की बैठकों का संचालन और उसके सही कार्यवृत्तों का रखा जाना;

(ङ) ऐसी रीति जिसमें धारा 9 के अधीन रिक्तियां भरी जायेंगी;

(च) बोर्ड द्वारा रखे गये लेखे, तथा रीति जिससे उक्त लेखे संपरीक्षित किये और प्रकाशित किये जायेंगे;

(छ) तारीख जिससे पूर्व बजट पारित करने हेतु बैठक की जायेगी;

(ज) बजट तैयार करने में अपनाई जाने वाली रीति और प्रपत्र;

(झ) बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी, विवरण और रिपोर्ट;

(ञ) इस अधिनियम के अधीन रखे जाने वाले होमियोपैथों के रजिस्टर का प्रपत्र;

(ट) इस अधिनियम के अधीन वसूल करने योग्य फीसें तथा उनका उपयोजन;

(ठ) रीति जिससे धारा 30 के अधीन बोर्ड द्वारा, रजिस्ट्रार के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई की जायेगी;

(ङ) बोर्ड के सदस्यों तथा उसके अध्यक्ष को देय भत्ते;

(ढ) अध्यक्ष को दिया जाने वाला पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापन अथवा परीक्षा निकाय के रूप में बोर्ड के किसी उद्देश्य को अग्रसर करना;

(त) होमियोपैथों द्वारा विहित प्रपत्र में रोगी रजिस्टर का रखा जाना ;

(थ) राज्य सरकार तथा बोर्ड द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(द) धारा 40 के खण्ड (X) के अधीन अनुज्ञप्ति-पत्र अथवा अनुमति-पत्र अनुदान करने हेतु आवेदन का प्रपत्र तथा उसमें भरी जाने वाली विशिष्टियां;

(ध) अनुज्ञप्ति-पत्र अनुदान करने अनुज्ञप्ति-पत्र का नवीकरण करने तथा तदर्थ देय फीस के लिये शर्तें; और

(न) अधिनियम के किन्हीं अन्य उद्देश्यों को अग्रसर करना।

(3) ऐसे समस्त नियम राज-पत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष चौदह दिन की कालावधि के लिए उस समय रखा जायेगा जब वह सत्र में हो। यह अवधि एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस पत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो, या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व राज्य विधान मण्डल का सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने का विनिश्चय करे तो तत्पश्चात् वह नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व राज्य विधान मण्डल का सदन विनिश्चय करे कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभावी हो जायेगा; किन्तु नियम के ऐसे उपान्तरित या निष्प्रभावी होने से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

58. विनियम.—इस अधिनियम के उपबन्धों तथा राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, बोर्ड निम्नलिखित मामलों का विनियमन करने के लिये विनियम बना सकेगा, अर्थात्:—

(क) ऐसी शर्तें जिनपर कि धारा 30 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ संस्थाओं को सम्बद्ध किया जा सकेगा या उन्हें मान्यता प्रदान की जा सकेगी;

(ख) बोर्ड से सम्बद्ध शैक्षिक या शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश;

(ग) ऐसी शर्तें जिनके अधीन छात्रों को बोर्ड की किसी डिग्री, डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र के पाठ्यक्रम में तथा परीक्षाओं में प्रवेश दिया जायेगा तथा वे डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पात्र होंगे;

(घ) बोर्ड से सम्बद्ध शैक्षिक या शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के निवास की शर्तें तथा ऐसे निवास के लिए फीस की वसूली ;

हैं या ऐसे अन्य क्षेत्रों के लिए जिनमें वे एतस्मिन पश्चात्

(ङ) बोर्ड से सम्बद्ध शैक्षिक या शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों की संख्या, अर्हतायें तथा उपलब्धियां;

(च) उक्त संस्थाओं में पाठ्यक्रमों के लिए, तथा बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश पाने, डिग्रियों, डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्रों के लिए प्रभार्य फीस;

(छ) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें तथा ढंग और उनके कर्तव्य तथा परीक्षाओं का संचालन;

(ज) समय तथा स्थान जहां बोर्ड की बैठकें की जायेंगी;

(झ) ऐसी बैठकों को आयोजित करने सम्बन्धी सूचना जारी करना;

(ञ) उक्त बैठकों में कार्य-संचालन;

(ट) बोर्ड की बैठक में सदस्यों द्वारा प्रश्नों का, ऐसी शर्तों तथा निबंधनों के अध्यधीन पूछा जाना जैसा कि विनियम में उपबन्धित किए जाएं;

(ठ) रजिस्ट्रार को छोड़कर बोर्ड के अन्य अधिकारियों तथा सेवकों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें; तथा

(ड) ऐसे सब मामले जो इस अधिनियम के उद्देश्यों की क्रियान्विति के प्रयोजनार्थ आवश्यक हों ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन निर्मित समस्त विनियम राज-पत्र में प्रकाशित किये जायेंगे ।

(3) राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा किसी विनियम को रद्द अथवा उपान्तरित कर सकेगी ।

59. नियमों तथा विनियमों का पूर्व प्रकाशन.—राज्य सरकार को नियम तथा बोर्ड को विनियम बनाने की शक्ति, नियमों तथा विनियमों पर आक्षेपों के लिए उनके पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाने की शर्त के अध्याधीन है तथा नियम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक वे राज-पत्र में प्रकाशित न हो जाएं तथा विनियम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक उनकी राज्य सरकार द्वारा पुष्टि न कर दी जाय ।

60. वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों का वर्जन.—(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किये गये किसी कार्य के बारे में राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

(2) बोर्ड या बोर्ड के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक अथवा बोर्ड या बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अधिकारी या सेवक के निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन विधिपूर्वक तथा सद्भाव से और युक्तियुक्त सावधानी तथा ध्यान से की गई किसी बात के लिए कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

61. व्यावृत्तियां.—जब तक कि इस अधिनियम के अधीन अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो, इस अधिनियम का कोई उपबन्ध, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी होमियोपैथ के सिवाय, किसी अन्य चिकित्सा व्यवसायी पर प्रभावी नहीं होगा।

अध्याय VII

चिकित्सा व्यवसाइयों की सूची

62. चिकित्सा व्यवसाइयों की सूची.—(1) रजिस्ट्रार इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, उक्त प्रारम्भ के समय होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति का चिकित्सा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार करके रखेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित नहीं है किन्तु जो विहित रीति से यह साबित करे कि वह उक्त प्रारम्भ के समय राज्य में होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति का नियमित चिकित्सा व्यवसाय करता रहा है तो वह इस निमित्त अपने द्वारा किये गये आवेदन पर उक्त प्रारम्भ के डेढ़ वर्ष के भीतर अपना नाम पूर्वोक्त सूची में पचास रुपया फीस संदत्त करके प्रविष्ट कराने का हकदार होगा।

(3) धारा 29 की उप-धारा (2), धारा 30 की उप-धारा (3) से (7), धारा 31 तथा धारा 36 की उप-धारा (1) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस सूची पर भी लागू होंगे।

अनुसूची

होमियोपैथों के रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने के हकदार व्यक्ति।

(धारा 30, 31, 32, 33 और 34 देखिये)

(1) वे होमियोपैथ जिन्होंने राजस्थान के होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड द्वारा ली गई अन्तिम परीक्षाएं पास करली हैं।

(2) वे होमियोपैथ जिन्होंने राज्य में या उसके बाहर के किसी होमियोपैथिक संस्था की कोई परीक्षा पास करली है :

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ ऐसी कोई संस्था बोर्ड द्वारा, ऐसी परिसीमाओं के अध्यधीन जिन्हें बोर्ड उचित समझे, मान्यताप्राप्त हो।

(3) वे होमियोपैथ, जिनकी प्रविष्टि धारा 62 के अधीन तैयार कर रखी गई सूची में की गई है तथा जिन्होंने दस वर्ष से अन्यून कालावधि के लिए होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति का नियमित चिकित्सा व्यवसाय उनके द्वारा ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन पूर्ण कर लिया है जो बोर्ड विनियमों द्वारा अवधारित करे।

(4) विलोपित।

(5) वे होमियोपैथ, जो अधिनियम की धारा 32 के खण्ड (क) के अधीन बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त कोई उपाधि, डिग्री या अर्हता रखते हों।

राज्यपाल के नाम और आज्ञा से,
महेन्द्रभूषण शर्मा,
विधि सचिव।

23

अधीक्षक
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय
जयपुर

Regd. No. J. 30

राजस्थान राज-पत्र

सत्यमेव जयते

Rajasthan Gazette

साधिकार प्रकाशित] [Published by Authority

आश्विन 8, गुरुवार, शक सम्वत् 1893—सितम्बर 30, 1971
Aswina 8, Thursday, Saka Samvat 1893—September 30, 1971

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम ।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 17, 1971

जी.एस.आर. 344 :— राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा अधिनियम, 1969 (राजस्थान अधिनियम 1 सन् 1970) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार निम्नलिखित नियमों का प्रस्थापन करती है। यह नियम राजस्थान राज-पत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी समझे जायेंगे।

राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा नियम, 1971

अध्याय 1—प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम:—(1) ये नियम राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा नियम, 1971 कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजस्थान राज-पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे :—

2. परिभाषायें:—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "अधिनियम" से राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा अधिनियम, 1969 (अधिनियम 1 सन् 1970) अभिप्रेत है ।

(ख) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(ग) "प्रपत्र" से इन नियमों के अधीन विहित तथा इन नियमों से अनुलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है ।

(घ) "अनुसूची" से अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

(ङ) "उम्मीदवार" से बोर्ड के निर्वाचन के लिये सदस्य के रूप में खडा होने वाला रजिस्ट्रीकृत होमियोपथ अभिप्रेत है ।

(च) "मतदाता" से रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथ अभिप्रेत है ।

(छ) "रिटर्निंग आफिसर" से, जब तक राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निदेश न दिये जायं, बोर्ड का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो अधिनियम में प्रयुक्त हुई हैं किन्तु इन नियमों से जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किया गया है ।

अध्याय–2–बोर्ड की स्थापना

3. उपाध्यक्ष का निर्वाचन:—(क) उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये रिटर्निंग आफिसर बोर्ड की बैठक बुलायेगा तथा सदस्यों को विहित प्रपत्र (प्रपत्र संख्या 1) में नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने के लिये कहेगा । निर्वाचन का कार्यक्रम सम्यक रूप से अधिसूचित किया जायेगा ।

(ख) प्रत्येक उम्मीदवार सम्यक रूप से प्रस्थापित तथा समर्थित किया जायगा ।

(ग) रिटर्निंग आफिसर अपने द्वारा प्राप्त नाम निर्देश पत्रों के अनुसार उपाध्यक्षता के लिये उम्मीदवारों के नाम प्रख्यापित करेगा । तब वह प्रत्येक सदस्य से अपने चनाव (choice) का उल्लेख विहित (प्रपत्र पत्र संख्या 2) में करने के लिये कहेगा । इसे रिटर्निंग आफिसर को सौंप दिया जायगा । जो उम्मीदवार सर्वाधिकमत प्राप्त करेंगे उन्हें रिटर्निंग आफिसर द्वारा बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा ।

4. बोर्ड के सदस्यों का रजिस्टर:—रजिस्ट्रार प्रपत्र संख्या 3 में बोर्ड के सदस्यों के एक रजिस्टर का संधारण करेगा ।

5. निर्वाचन नामावलि:—(1) रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथों की एक आदिनांक सूची निम्नलिखित स्तम्भों सहित प्रकाशित करेगा :—

(क) क्रम संख्या

(ख) रजिस्ट्रीकृत संख्या

(ग) नाम
(घ) पिता का नाम/पति का नाम
(ङ) पता
(च) अभ्युक्तियां

इस सूची को सामान्य निर्वाचक नामावलि कहा जायगा।

(2) राजस्थान राज्य में मान्यता प्राप्त होमियोपैथिक शिक्षण संस्थाए निर्वाचन की तारीख के आख्यापन से 10 दिन के भीतर अपने अध्यापकों की एक सूची भेजेगी। रजिस्ट्रार अध्यापकों की एक पृथक निर्वाचक नामावलि प्रकाशित करेगा। यह अध्यापकों की निर्वाचक नामावलि कहलायेगी। इसमें सामान्य निर्वाचक नामावलि के सम्बन्ध में ऊपर वर्णित समस्त विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी।

(3) उप-नियम (1) और (2) में वर्णित निर्वाचक नामावलियां, रजिस्ट्रार द्वारा नियत कीमत पर, उसके द्वारा विक्रय के लिये उपलब्ध होगी और ये कार्यालय समय के दौरान निःशुल्क निरीक्षण के लिये खुली रहेगी।

6. निर्वाचन के सम्बन्ध में सामान्य उपबन्ध:—(1) रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह बोर्ड की अवधि की समाप्ति के कम से कम 3 महीने पहले, सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध समस्त कार्य करें।

(2) बोर्ड के समस्त निर्वाचन जिनमें उपाध्यक्ष के निर्वाचन भी सम्मिलित है, करने के प्रयोजन के लिये, रजिस्ट्रार रिटर्निंग आफिसर होगा, किन्तु राज्य सरकार उक्त निर्वाचनों से सम्बन्ध किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये किसी भी अन्य व्यक्ति को रिटर्निंग आफिसर के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकेगी।

(3) निर्वाचन कार्यक्रम सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायगा और रजिस्ट्रार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह समय समय पर सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन करें।

(4) अध्यापक-प्रतिनिधि के लिये नाम निर्देशन पत्र प्रपत्र संख्या 4 में होंगे।

(5) बोर्ड के साधारण सदस्यों के निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन पत्र प्रपत्र संख्या 5 में होगा।

7. रिक्तियों की रिपोर्ट करना:—(क) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद की समस्त रिक्तियां जब तक सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशन किया जाय रिक्तियां होने के 6 माह के भीतर भरदी जायेगी।

(ख) रजिस्ट्रार, किसी सदस्य के पद में किसी पूर्वानुमानित रिक्ति के सम्बन्ध में, रिक्ति होने के 90 दिन पहले, सरकार को लिखित में एक रिपोर्ट भेजेगा।

(ग) यदि बोर्ड के किसी सदस्य के पद में उक्त सदस्य के पद त्याग, मृत्यु अपसारण या निर्योग्यता के कारण अथवा अन्य प्रकार से उसके कार्यालय पदावधि के अवसान से पहले कोई रिक्त हो जाती है, तो रजिस्ट्रार सरकार को यथासम्भव शीघ्र उसकी रिपोर्ट करेगा।

8. निर्वाचित सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना :—निर्वाचित सदस्यों के पद में हुई रिक्तियां ऐसी कालावधि में भरी जायगी जो वास्तव में रिक्त होने की तारीख से 60 दिन से अधिक नहीं होगी ।

9. सदस्यों के निर्वाचन के लिये प्रक्रिया :—रिक्तियां भरने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायगी :—

(1) निर्वाचक नामावलियां, निर्वाचन की तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित की जायगी ।

(2) उम्मीदवारी, निर्वाचन में मतदान करने के लिये कई सदस्यों द्वारा प्रस्थापित तथा समर्थित की जायगी । कोई भी निर्वाचक उस संख्या, जिसका भरा जाना अपेक्षित हो, से अधिक सदस्यों के नाम निर्देशन की प्रस्थापना या समर्थन नहीं करेगा । अपेक्षित संख्या से अधिक सदस्यों के नाम निर्देश को अन्तर्विष्ट करने वाले नाम निर्देशन-पत्र सर्वथा शून्य हो जावेंगे ।

(3) प्रत्येक उम्मीदवार यह घोषणा करते हुए कि यदि वह निर्वाचित होगया तो बोर्ड में सेवा करने का इच्छुक है, नाम निर्देशन पत्र भेजेगा ।

(4) ऐसी घोषणा के अभाव में नाम निर्देशन अविधिमान्य समझा जायगा ।

(5) नाम निर्देशन के लिये प्रत्येक प्रस्थापना प्रपत्र संख्या (5) में लिखित में होगी, जो निर्वाचन आफिसर द्वारा केवल पांच रुपयों की फीस का संदाय करने पर उपलब्ध कराया जायगा ।

(6) नाम निर्देशन प्रपत्र निर्वाचन आफिसर को या तो व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत किया जायगा जिससे कि वह नाम निर्देशन-पत्र फाइल करने के लिये नियत की गई अन्तिम तारीख को अपरान्ह 1 बजे पूर्व उनके पास पहुंच जाय । व्यक्तिशः फाइल किये गये नाम निर्देशन-पत्र निर्वाचन आफिसर को उनके कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(7) प्रत्येक उम्मीदवार, संवीक्षा के पश्चात् 3 दिन के भीतर निर्वाचन आफिसर को व्यक्तिशः लिखित में देकर, अपनी उम्मीदवारी का प्रत्याहरण (with-draw) करने के लिये स्वतन्त्र होगा । इस तारीख को निर्वाचन आफिसर निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या आख्यापित करेगा । यह निर्वाचन आफिसर के सूचना पट्ट पर अधिसूचित की जायगी ।

(8) निर्वाचन आफिसर, नाम निर्देशनों की संवीक्षा के लिये उसके द्वारा नियत किये गये समय पर उन सभी प्रश्नों का, जो किसी नाम निर्देशन की विधिमान्यता के सम्बन्ध में उत्पन्न हो, विनिश्चिय करेगा और उन पर उसका विनिश्चियन अन्तिम होगा ।

(9) यदि किसी निर्वाचन के मामले में सम्यक् रूप से नाम निर्देशित सदस्यों की संख्या भरी जाने की लिये अपेक्षित रिक्त या रिक्तियों की संख्या से अधिक हो तो

निर्वाचन आफिसर तुरन्त ऐसे सभी उम्मीदवारों को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित कर देगा।

(10) यदि ऐसे किसी भी निर्वाचन के मामले में, रिक्ति या रिक्तियों को भरने के लिये आवश्यकता से अधिक उम्मीदवारों का नाम निर्देशित किया गया हो तो निर्वाचन आफिसर तुरन्त उनके नाम तथा पते राजस्थान राज पत्र में तथा ऐसी रीति-नीति से जैसी रिटर्निंग आफिसर ठीक समझे, प्रकाशित करायेगा तथा इसके अतिरिक्त उनके नामों की, प्रपत्र 6 में मत पत्रों में प्रविष्टि करायेगा।

(11) निर्वाचन ऑफिसर, प्रत्येक निर्वाचक को, अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक मत पत्र (प्रपत्र 6) ऐसी तारीख को जो उसके (निर्वाचन आफिसर) द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियत की गई तारीख से इक्कीस दिन से कम नहीं होगी, व्यक्तिशः देगा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा। कोई भी निर्वाचन मात्र किसी निर्वाचक द्वारा अपना मत पत्र प्राप्त नहीं करने के कारण ही अविधिमान्य नहीं कर दिया जायगा, बशर्ते कि मत पत्र उसे इन नियमों के अनुसार जारी किया गया हो।

(12) मतदेने का इच्छुक प्रत्येक निर्वाचक, ऐसी तारीख से पूर्व जो इसके लिये रिटर्निंग आफिसर नियत करे, अपना मत पत्र उसमें विहित रीति से अपना मत या अपने मत अभिलिखित करने के पश्चात्, निर्वाचन आफिसर को व्यक्तिशः देगा अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा। परन्तु कोई भी मत पत्र, जो निर्वाचन आफिसर को मतगणना के लिये इस प्रकार नियत की गई तारीख को 12 बजे मध्यान्ह से पूर्व प्राप्त न हो, रद्द कर दिया जायगा।

(13) निर्वाचन आफिसर मतों की गणना के प्रयोजन के लिये ऐसी तारीख को तथा ऐसे समय और स्थान पर जैसा उसके द्वारा इस निमित्त नियत किया जाय, हाजिर रहेगा। तब मत पत्रों की समीक्षा की जायगी तथा विविध मान्य मतों की गणना की जायगी। कोई भी उम्मीदवार मतों की गणना की निगरानी रखने के लिये व्यक्तिशः अथवा किसी प्रत्याधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित रह सकेगा।

(14) मत पत्र अविधिमान्य होगा यदि :—

(क) वह किसी भी प्रकार इन नियमों के अनुरूप न हो, अथवा

(ख) वह उस पर मुद्रित अनुदेशों के अनुरूप न हो, अथवा

(ग) उस पर निर्वाचन आफिसर के प्रथमाक्षर न हों, अथवा

(घ) उस पर कोई भी मत अभिलिखित न किया गया हो, अथवा

(ङ) कोई मतदाता उस पर अपने नाम के हस्ताक्षर कर दे अथवा कोई शब्द लिखदे या कोई भी चिन्ह बनादे जिससे वह उसके मत पत्र के रूप में पहचाने जाने योग्य हो जाय, अथवा

(च) उस पर अभिलिखित मतों की संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक हो जाय, अथवा

(छ) वह दिये गये एक अथवा अधिक मतों की अनिश्चितता के कारण शून्य हो गया है।

परन्तु जब एक ही मत पत्र पर एक से अधिक मत दिये जा सकते हों तब, यदि इस प्रकार लगाये गये चिन्हों में से कोई एक चिन्ह यह बात सन्देहास्पद बनादे कि उसका किस उम्मीदवार के लगाया जाना आशायित है, इस कारण, संयुक्त मत अविधिमान्य हो जायेगा, न कि सम्पूर्ण मत पत्र ।

(15) यदि किसी मत पत्र के सम्बन्ध में, इस आधार पर, कि वह विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार नहीं है, अथवा निर्वाचन आफिसर द्वारा किसी मत पत्र के किसी भी अग्रहण (rejection) के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप किया जाय तो निर्वाचन आफिसर द्वारा तत्काल उसका विनिश्चय किया जायगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(16) निर्वाचन आफिसर, उतनी संख्या में, जितनी वह उचित समझे संवीक्षाकारों को नाम निर्देशित करेगा ।

(17) जब मतों की गणना पूर्ण होजाय तो निर्वाचन आफिसर तुरन्त ही ऐसे उम्मीदवार अथवा उम्मीदवारों, यथा स्थिति, को जिसे सर्वाधिक संख्या में मत दिये गये हैं, निर्वाचित घोषित कर देगा तथा सफल उम्मीदवार को रजिस्ट्रीकृत पत्र द्वारा बोर्ड में उसके निर्वाचित हो जाने की तुरंत ही इत्तिला देगा और अध्यक्ष तथा राज्य सरकार को भी तुरंत इत्तिला देगा ।

(18) जब किन्हीं उम्मीदवारों के बीच मतों की समानता पाई जाय तथा एक मत के बढ़ा देने से कोई अथवा अधिक उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होने के हकदार हो जाय तो उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, जिसे जिन्हें ऐसा, अतिरिक्त मत दिया गया समझा जायगा, का अवधारण निर्वाचन आफिसर द्वारा लाटरी निकाल कर किया जायगा ।

(19) गणना पूरी हो जाने पर तथा उसके द्वारा परिणाम घोषित कर देने के पश्चात निर्वाचन आफिसर, मत पत्रों तथा निर्वाचन से सम्बन्धित आय समस्त दस्तावेजों को मुहर बन्द करेगा तथा उन्हें छः मास तक अपने पास रखेगा और तत्पश्चात, राज्य सरकार के अनुमोदन से उन्हें नष्ट करवाएगा ।

(20) रिटर्निंग आफिसर राजस्थान राज-पत्र में और ऐसे अन्य तरीके से निम्न-लिखित कार्यवाहियों में से ऐसी कार्यवाहियों के लिये नियत तारीख, समय तथा स्थान अधिसूचित करेगा जैसा कि सरकार उचित समझे, उदाहरणार्थ :—

(क) मतदाताओं को मत-पत्र भेजना ।

(ख) मत-पत्र प्राप्त करने के लिये अन्तिम तारीख और मतों को गिनने के लिये तारीख ।

(21) इन नियमों के आशय अथवा लागू होने के विषय में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न हो जिसे बोर्ड की राय में राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाना चाहिये, तो बोर्ड

ऐसे प्रश्न को राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा ।

10. अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण किया जाना :— अध्यक्ष अपने नाम निर्देशन पर कार्यालय आदेश जारी करके पद का कार्यभार ग्रहण करेगा जिससे सरकार को अधिसूचित किया जायगा । नया अध्यक्ष अपने नाम निर्देशन के 15 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करेगा ।

11. बोर्ड की बैठकें :—(1) अध्यक्ष द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण करने के एक महीने के भीतर बोर्ड की बैठक बुलाई जायगी । इन बैठक के लिए कार्य सूची रजिस्ट्रार द्वारा तैयार की जायगी और अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात उसके द्वारा नोटिस जारी किये जायगा ।

(2) कार्य सूची सहित बैठकों को नोटिस समस्त स्थानीय अधिकारियों को डाक पुस्तक के जरिये और जयपुर के बाहर रहने वाले सदस्यो को डाक प्रमाण-पत्र के अधीन भेजा जायगा ।

(3) बैठक की तारीख के कम से कम 7 दिन पूर्व रजिस्ट्रार अध्यक्ष की अनुमति से समस्त सदस्यों को नोटिस जारी करके कम से कम 120 दिनों में एक बार बोर्ड की बैठक बुलाएगा ।

(4) बोर्ड के कम से कम 7 सदस्यों द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत करने पर भी बोर्ड की बैठक अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी । ऐसी बैठक लिखित आवेदन प्राप्त होने पर एक माह की अवधि में रजिस्ट्रार द्वारा बुलाई जाएगी ।

(5) बोर्ड की आपात बैठक 3 दिन के नोटिस पर अर्जेन्ट मामलों पर कार्यवाही करने के लिये अध्यक्ष द्वारा रजिस्ट्रार के जरियें बुलाई जा सकती है और ऐसी आपात बैठक का नोटिस समस्त स्थानीय सदस्यों को डाक पुस्तक के जरिये और बाहरी सदस्यों को, कार्य-सूची के बिना, तार द्वारा भेजा जायगा ।

(6) बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा, अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में उस विशिष्ट बैठक के अध्यक्षता करने के लिये उपस्थित सदस्यों द्वारा बैठक में इस प्रकार निर्वाचित उपस्थित सदस्यों द्वारा की जाएगी ।

(7) यदि गणपूर्ति हो तो बैठक अथवा सुनवाई, यथा स्थिति, ठीक समय पर आरम्भ होगी । यदि गणपूर्ति नियत समय के आधे घंटे के भीतर न हो, तो अध्यक्ष अगले कार्यकारी दिवस के उसी समय तक के लिये बैठक मुल्तवी कर देगा जो गणपूर्ति के अभाव में मुल्तवी की गयी स्थगित बैठक कही जाएगी और ऐसी बैठक की कार्यवाही अधिनियम की धारा 20 (2) पैरा 2 में जैसा उपबन्धित है उपस्थित सदस्यों की संख्या में किसी भी कमी पर कोई भी विचार किये बिना, की जायगी ।

(8) रजिस्ट्रार, आशु मुद्रिक अथवा उसे सुविधाजनक किसी भी अन्य तरीके के जरिये कार्यवृत्त एवं कार्यवाहियां अभिलिखित कराएगा और यह देखेगा कि समस्त कार्यवृत

तथा कार्यवाहियां ठीक रूप से अभिलिखित की जा रही हैं और तब अध्यक्ष के सम्मुख इसके अनुमोदनार्थ रखेगा। अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार कार्यवृत्त अनुमोदित हो जाने पर पत्रावली में रखे जायेंगे तथा पढे जाने और बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा ठीक रूप में पारित किये जाने के निमित्त बोर्ड की अगली बैठक में रखे जायेंगे।

(9) रजिस्ट्रार बोर्ड के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिये प्राधिकृत होगा। बैठक की कार्यवाही की कार्यवृत्त पुस्तिका तथा ऐसा समस्त अन्य अभिलेख रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।

12. अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते इत्यादि :—(क) सदस्यों को, जो बैठक के स्थान पर निवास करते हैं, रु. 7 प्रति दिन के हिसाब से सवारी खर्च दिया जायगा तथा उन व्यक्तियों को, जो बैठक के स्थान पर निवास नहीं करते हैं उनके निवास स्थान से बैठक के स्थान तथा वहां से वापसी के लिये मात्र प्रथम श्रेणी के रेल भाड़े के अतिरिक्त रुपये 20 प्रति दिन का दैनिक भत्ता दिया जायगा।

(ख) अध्यक्ष रु. 150 प्रति माह सवारी भत्ते के रूप में तथा बोर्ड के खर्च पर अपने निवास स्थान पर एक टेलीफ़ोन उन्हीं शर्तों के अधीन जो कि शासन उप सचिव पर लागू होती है, प्राप्त करने का हकदार होगा।

13. रजिस्ट्रार से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति :—(1) बोर्ड, रजिस्ट्रार से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार के अनुमोदन से करेगा। ऐसे कर्मचारी वर्ग का पारिश्रमिक तथा उनकी सेवा शर्तें राज्य सरकार के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा नियत की जायेंगी। रजिस्ट्रार का सम्बलम् (सेलेरी) और अन्य भत्ते सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किये जायेंगे।

(2) होमियोपैथिक के लिये पृथक निदेशक की नियुक्ति होने तक रजिस्ट्रार निदेशक के रूप में कार्य करेगा तथा उस रूप में समस्त कर्तव्यों का पालन करेगा।

14. यात्रा व्यय के बारे में सामान्य नियम :—अध्यक्ष और सदस्यों को यात्रा व्यय के संदाय के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे :—

(1) ऐसे व्यय बोर्ड या उसकी समिति की बैठकों में उपस्थित होने के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं सहित बोर्ड के कार्य के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के बारे में ही संदेय होंगे,

(2) उक्त व्यय एक बिल द्वारा, जिसमें प्रत्येक मद का विवरण होगा तथा व्यय प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा, प्राप्त किया जायगा।

15. वित्तीय उपबन्ध :—किसी भी अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में बोर्ड के नाम से एक खाता खोला जायगा तथा बोर्ड की समस्त धनराशि या एतत्पश्चात् वर्णित शर्तों के अध्यधीन बैंक में जमा कराई जायेगी।

16. रजिस्ट्रार आहरण और संवितरण आफिसर (Drawing and Disbursing Officer) होने के कारण बोर्ड को संदेय समस्त धनराशियां प्राप्त करेगा। वह रुपये 500 से अधिक की राशि अपने पास नहीं रखेगा, शेष बैंक में बोर्ड के खाते में जमा करायेगा।

17. वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार के पर्यवेक्षण निदेशन और नियंत्रण के अधीन संधारित किये जायेंगे। उनका अंकेक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जायगा।

18. प्रत्येक वर्ष सितम्बर के माह में या किसी अन्य तारीख को जो कि राज्य सरकार नियत करे, आगामी प्रथम अप्रेल से प्रारम्भ होने वाले वर्ष के आय और व्यय का अनुमान राज्य सरकार को भेजा जायगा।

19. उक्त अनुमानों में बोर्ड के दायित्वों के पूरे करने के लिये तथा अपने उद्देश्यों के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए उपबन्ध होगा। इसके आय के खाते में साधारणतः अपेक्षित अन्य आय के अलावा ऐसा अनुदान जो कि राज्य सरकार आवंटित करे, तथा रजिस्ट्रीकरण और अन्य स्रोतों से प्राप्त अन्य समस्त फीसें सम्मिलित होंगी।

20. राज्य सरकार, इस प्रकार प्रस्तुत अनुमानों पर विचार करेगी और वह या तो उन्हें उसी रूप में या ऐसे परिवर्तनों के अध्यधीन जैसा कि वह ठीक समझे, स्वीकृत कर देगी।

21. राज्य सरकार उस वर्ष के दौरान जिसके लिए अनुमान स्वीकृत किया गया है कभी भी अनुपूरक अनुमान मनवा सकेगी और प्रस्तुत करवा सकेगी। ऐसे प्रत्येक अनुमान पर राज्य सरकार द्वारा उसी प्रकार विचार किया जायगा मानों यह मूल वार्षिक अनुमान हो।

22. रजिस्ट्रार बोर्ड द्वारा प्राप्त और खर्च की जाने वाली समस्त धन राशियों को जनरल केश बुक में तुरन्त लेखा बद्ध करेगा।

23. बैंक के नाम समस्त चैक अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार के संयुक्त हस्ताक्षरों से जारी किये जायेंगे।

24. बोर्ड के लेखे उस भाषा में संधारित किये जायेंगे जिसमें कि तत्समय राज्य सरकार के लेखे संधारित किये जा रहे हैं।

अध्याय–3–होम्योपैथों का रजिस्ट्रीकरण

25. धारा 30 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होम्योपैथ के रूप में रजिस्ट्रीकरण:—(1) धारा 30 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार तथा अपने को रजिस्ट्रीकृत कराने का इच्छुक प्रत्येक वयस्क व्यक्ति पूरी तरह से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित प्रपत्र 7 में, जो कि रूपये 2 में उपलब्ध कराया जायेगा, रजिस्ट्रार को आवेदन करेगा। ऐसा प्रत्येक आवेदन पत्र रु. 50 फीस सहित होगा तथा साथ में उसके द्वारा 3 वर्ष से अधिक की पूर्व प्रैक्टिस संबंधी प्रमाण के रूप में दो प्रमाण-पत्र भी होंगे। (देखिये अनुसूची 3)।

(2) अधिनियम की धारा 30 (अनुसूची 3) के प्रयोजनार्थ प्रमाण-पत्र प्रपत्र 8 में होंगे जो कि आवेदन-पत्र से संलग्न होंगे तथा किसी संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य, जिला प्रमुख या नगरपालिका परिषद् या बोर्ड के अध्यक्ष या प्रधान अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

(3) रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार है, उसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट करायेगा तथा उसे प्रपत्र 9 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर देगा।

(4) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 30 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होम्योपैथों का रजिस्टर पृथक् वर्णमाला क्रमानुसार इन्डेक्स रजिस्टर सहित, प्रपत्र 10 में संधारित किया जावेगा।

26. अतिरिक्त अर्हताओं का रजिस्ट्रीकरण:—(1) अतिरिक्त अर्हताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन-पत्र प्रपत्र 11 में रुपये 5 फीस सहित दिया जावेगा।

(2) अतिरिक्त अर्हताओं के बारे में आवश्यक प्रविष्टियां कर लेने के पश्चात् रजिस्ट्रार आवेदक को प्रपत्र 12 में एक प्रमाण-पत्र अनुदत्त करेगा।

27. रजिस्ट्रार के विनिश्चय के विरुद्ध अपीलें:—रजिस्ट्रार के विनिश्चय के विरुद्ध धारा 30 (5) के अधीन प्रस्तुत की गयी अपील निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन होंगी:—

(1) ऐसी अपील लिखित में एक ज्ञापन द्वारा जो अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत की जावेगी जो या तो उसके द्वारा व्यक्तिशः पेश की जायगी या किसी यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति के जरिये डाक द्वारा इस प्रकार प्रेषित की जायगी कि वह धारा 30 (5) में यथावर्णित नब्बे दिन की अवधि के भीतर बोर्ड के कार्यालय में पहुँच जाय। इसमें संक्षेप में अपील के कारण बतलाये जायेंगे।

(2) रजिस्ट्रार उक्त अपीलों का एक रजिस्टर संधारित करेगा तथा उनको क्रम संख्यानुसार प्रविष्ट करेगा। रजिस्टर में, अपीलकर्ता, अपील ज्ञापन के प्राप्त होने की तारीख, अपील का परिणाम, जब विनिश्चय हो जाय तथा ऐसे अन्य विवरण, जैसा कि अध्यक्ष उसमें प्रविष्ट करने का निर्देश दे, संबंधी ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे।

(3) ऐसी अपीलों की सुनवाई के प्रयोजनार्थ बोर्ड की बैठक सामान्यतः कम से कम तीन माह में एक बार की जायगी।

स्पष्टीकरण:—इस उपनियम की कोई बात बोर्ड की बैठक में कोई अन्य कारबार करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जायगी।

(4) बैठक की तारीख, समय और स्थान की इत्तिला अपीलार्थी को लिखित में पर्याप्त समय पहले भेजी जायगी ताकि यदि वह बैठक में उपस्थित होना चाहे तो उसे उपस्थित होने के लिये युक्तियुक्त अन्तराल मिल सके।

(5) उस प्रयोजनार्थ बैठक में अपीलार्थी को वैयक्तिक रूप से या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी विधि सलाहकार के माध्यम से सुनवाई के लिये उपस्थित होने का अधिकार होगा।

(6) इस अधिनियम के उपबन्ध तथा बोर्ड की बैठक पर लागू होने वाले विनियम, इस नियम के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिये की गई बैठकों पर लागू होंगे।

(7) धारा 25 के अधीन संबंधित सलाहकार समिति के समक्ष की गयी कार्यवाही के संदर्भ में यह नियम उसी रीति में लागू होगा जैसा कि यह बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों के सन्दर्भ में लागू होते हैं।

(8) इस नियम के उपबन्ध, यथा संभव धारा 30 के अधीन आवेदनों से उद्भूत होने वाली अपीलों पर लागू होंगे।

(5) जब इस नियम के अधीन कोई अपील सलाहकार समिति के समक्ष सुनी जाय तो अपीलार्थी को बैठक में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार होगा किन्तु बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को ऐसे साक्ष्य लेने को विनियमित करने की शक्ति होगी। ऐसे साक्ष्य जिन्हें वह विसंगत समझे उन्हें बैठक में अभिलिखित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

अध्याय 4—रजिस्टर में से हटाया जाना और पुनः प्रविष्टि

28. कोई व्यक्ति लिखित में बोर्ड को इत्तला दे सकता है कि किसी होम्योपैथ ने धारा 6 (1) (क) और (ख) में वर्णित निरहर्तायें उपगत करली हैं। ऐसी इत्तला पर निम्नलिखित रीति में कार्यवाही की जायेगी :—

(1) (क) यदि इत्तिला शिकायत के रूप में है कि जिसमें होम्योपैथ पर वृत्तिक अपचार या धारा 36 के उपनियम (1) के खंड (ख) में परिकल्पित अन्य निन्द्य आचरण का आरोपण है तो उसके साथ किसी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित शपथ पत्र होगा।

(ख) खंड (क) में परिकल्पित, होम्योपैथ की दोष सिद्धि के संबंध में इत्तिला एक शपथ पत्र के साथ या उस निर्णय की प्रति के साथ होगी जिससे होम्योपैथ को सिद्ध दोष किया गया।

(ग) ऐसी इत्तिला या शिकायत जिसके साथ शपथ पत्र या निर्णय की प्रति नहीं है, बोर्ड के विवेकाधीन सारतः खारिज की जाने की दायी होगी।

(2) रजिस्ट्रार बोर्ड के समक्ष समस्त अन्य अभिलेखों के साथ समस्त इत्तिलाऐं और शिकायतें प्रस्तुत करवायेगा। बोर्ड या तो स्वयं मामले की जांच कर सकेगा या इस प्रयोजनार्थ एक समिति गठित कर सकेगा।

(3) जांच एक "कारण बताओ नोटिस" जारी करने से प्रारम्भ होगा। बोर्ड की ओर से नोटिस रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जायगा तथा होम्योपैथ को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायगा। इसमें आरोपों की प्रकृति और विशिष्टियां विनिर्दिष्ट की जायेगी और उसको उस दिन की इत्तिला देगी जिस पर कि बोर्ड मामले पर कार्यवाही करने का विचार करता है और होम्योपैथ को लिखित में आरोपों का उत्तर देने और ऐसी तारीख को बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने को कहेगा। नोटिस ऐसे प्रारूप में होगा जैसा कि बोर्ड द्वारा विहित किया जाय। इत्तिला देने वाले या शिकायत करने वाले को भी नियत तारीख की इत्तिला दी जायगी।

(4) (क) होम्योपैथ आरोप स्वीकार कर लेता है तो बोर्ड तत्काल अपने आदेश सुनायेगा।

(ख) यदि बोर्ड दोषी होम्योपैथ के उत्तर से या दस्तावेजों से या अपने समक्ष प्रस्तुत की गई अन्य सामग्री से संतुष्ट हो जाता है कि उसके विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है तो इत्तिला या शिकायत को खारिज कर देगा। परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायगा जब तक कि इत्तिला देने वाले या शिकायत करने वाले को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है।

(5) जब कभी बोर्ड की यह राय हो कि कोई ऐसी जांच की जानी है, जिसमें साक्ष्यों को अभिलिखित किया जाना अन्तर्वलित है तो वह या तो स्वयं उसकी जांच कर सकेगा या उसे उस प्रयोजनार्थ गठित किसी समिति को सौंप सकता है। प्रयोजनार्थ बोर्ड एक स्थायी समिति भी गठित कर सकता है। साक्ष्य ऐसी रीति में अभिलिखित किये जायेंगे जैसे कि बोर्ड द्वारा विनियमों में बताई जाये।

(6) बोर्ड या जांच समिति की बैठकें, जब तक बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्देश न दिये जायें बन्द कमरे में होगी।

(7) जांच की समाप्ति पर बोर्ड पक्षों को, यदि वे उपस्थित हों, अपने आदेश सुनायेगा अन्यथा आदेश, पक्षों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा संसूचित किये जायेंगे।

(8) बोर्ड इस नियम के अधीन जांच के संबंध में अनुपूरक उपबन्ध भी कर सकता है।

29. रजिस्टर में नामों का पुनः लिखा जाना:—धारा 36 के अधीन हटाये गये किसी नाम को रजिस्टर में पुनः लिखे जाने हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे, अर्थात्,—

(क) आवेदक का प्रमाण-पत्र, डिग्री या डिप्लोमा, यदि कोई हो,

(ख) उसका मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, यदि वह पहले ही वापस न कर दिया गया हो।

बोर्ड ऐसे आवेदनों का प्रपत्र विहित कर सकेगा।

30. बोर्ड की मोहर:—बोर्ड की निम्नलिखित प्रकार की एक सामान्य मोहर होगी :—

(क) एक गोले में "चित्तौड़ का कीर्ति स्तम्भ" होगा जिसमें "समः समं शमयति" और बोर्ड का नाम अर्थात्, "राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड" खुदा होगा।

(ख) बोर्ड द्वारा जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्रों, डिप्लोमा, डिग्रियों या बोर्ड द्वारा किये गये करारों और अन्य कोटि के दस्तावेजों, जो विनिर्दिष्ट किये जायें, पर यह मोहर लगाई जायेगी।

(ग) मोहर को रजिस्ट्रार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा और वह उसे ऊपर उप-नियम (ख) में वर्णित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त करेगा।

31. व्यवसायियों का रजिस्टर:—(क) इस अधिनियम की धारा 62 के परन्तुक के अधीन, रजिस्ट्रार ऐसे होम्योपैथों का एक अलग रजिस्टर रखवायेगा जिन्होंने अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख पर व्यवसाय के 3 वर्ष पूरे नहीं कर लिये हैं जिसमें प्रपत्र 13 में उपबन्धित स्तम्भ होंगे।

(ख) प्रत्येक होम्योपैथिक व्यवसायी जो अधिनियम की धारा 62 के अधीन सूचीबद्ध किये जाने के लिए अर्ह है और जो स्वयं सूचीबद्ध किये जाने का इच्छुक है, प्रपत्र 14 में, जो दो रुपये का है, सम्यक रूप से भर कर और हस्ताक्षर करके रजिस्ट्रार को आवेदन करेगा। ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ रुपये 50 (पचास रुपये मात्र) की फीस और नियम 25(2) में यथा उपबंधित दो प्रमाण-पत्र होंगे।

(ग) रजिस्ट्रार ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, या तो उसका अपना नाम रजिस्टर में सूचीबद्ध कर सकेगा और प्रपत्र 15 में प्रमाण पत्र जारी करेगा या आवेदन-पत्र रद्द कर सकेगा और अपने विनिश्चय की संसूचना उसके आधारों सहित, आवेदक को देगा।

(घ) रजिस्ट्रार के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति उक्त विनिश्चय की तारीख से 90 दिन के भीतर नियम 27 (1) के अनुसार 10 रुपये फीस के सहित बोर्ड को अपील कर सकेगा। बोर्ड अपील का विनिश्चय अपील नियमों के अनुसार करेगा।

32. निरीक्षण और दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा:—(1) अध्यक्ष बोर्ड के समस्त दस्तावेजों का (कार्यालय समय के भीतर) निरीक्षण करने का हकदार होगा।

2. अध्यक्ष से अन्यथा बोर्ड के सदस्य बोर्ड के दस्तावेजों को निम्नलिखित शर्तों पर निरीक्षण करने के हकदार होंगे—

(क) सदस्य रजिस्ट्रार को स्पष्ट तीन कार्य दिवसों का नोटिस देगा।

(ख) सदस्य जिस दस्तावेज का निरीक्षण करना चाहता है, उसका उल्लेख करेगा।

(ग) निरीक्षण बोर्ड के परिसर में कार्यालय समय के भीतर ही अनुमत होगा।

3. अन्य व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण बोर्ड के निदेशों के अधीन या उसके द्वारा बनाये गये विनियमों के अधीन अनुमत होगा।

33. होम्योपैथिक औषधियों के कारोबार का अनुज्ञापन:—(क) जो होम्योपैथिक औषधियों के विनिर्माण, उनका स्टाक रखने या उनके विक्रय का कारोबार चलाना चाहे वे प्रति वर्ष फीस रुपये 10 (दस रुपये) सहित विहित प्रपत्र संख्या 16 में आवेदन करेंगे।

रजिस्टर्ड एवं सूचीबद्ध होम्योपैथ्स को उनके रोगों की चिकित्सा के लिए औषधियां रखने की अनुमति दी जायेगी और उक्त अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(ख) अनुज्ञप्ति प्रपत्र 17 में प्रदत्त की जायेगी जो प्रति वर्ष नवीकरण के अध्यधीन होगी।

प्रपत्र (1)

[नियम 3 (क)]

(उपाध्यक्ष के नाम निर्देशन के लिये विहित प्रपत्र)

मैं डा. ..... पुत्र / पुत्री / पत्नी ..... आयु ..... वर्ष, पता ..... जो रजिस्ट्रीकरण संख्य ..... पर होम्योपैथ के रूप में रजिस्ट्रीकृत हूं, राजस्थान होम्योपैथिक बोर्ड के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट / निर्वाचित होने पर एतद्द्वारा, उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होना चाहता हूं।

..... द्वारा प्रस्तावित

..... द्वारा समर्थित

प्रस्तावक के हस्ताक्षर, ... प्रत्याशी सदस्य के हस्ताक्षर।

उसके पूरे नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या सहित

........................दिनांक........................

समर्थक के हस्ताक्षर,

उसके पूरे नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या सहित

निर्वाचन आफिसर की परिनिरीक्षा और आदेश

....

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर।

टिप्पण:—निर्वाचन आफिसर रद्द करने के आधारों का वर्णन करेगा, यदि कोई हों।

प्रपत्र 2

[नियम 3 (ग)]

(बोर्ड के सदस्यों द्वारा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये वरीयता का संकेत करने के लिये)

मैं, निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता, अपना मत डा. .... के पक्ष में देता हूं।

दिनांक

(सदस्य के हस्ताक्षर)

पूरा नाम................

पता................

रजिस्ट्रीकरण संख्या................

प्रपत्र 3

[नियम 4]

राजस्थान होमियोपैथिक बोर्ड के सदस्यों के विवरण दर्शित करने वाला रजिस्टर।

क्र. सं.	सदस्य का नाम उसके पिता/पति के नाम सहित।	पता	क्या नाम निर्दिष्ट है या निर्वाचित तथा निर्वाचित की दशा में निर्वाचकों की संख्या जिनका प्रतिनिधित्व किया जाता है।
1	2	3	4

पदावधि		पदावधि आरम्भ होने की तारीख	यदि पद स्तम्भ संख्या 6 में वर्णित तारीख से पूर्व समाप्त होता है तो समाप्ति की तारीख और उसके कारण ।
से	तक		
5	6	7	8

प्ररूप 4

[नियम 6 (4)]

शिक्षक प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र

(क) प्रत्याशी का नाम .....
(ख) पता .....
(ग) आयु .....
(घ) पिता/पति का नाम .....
(ङ) रजिस्ट्रीकरण संख्या .....
(च) पूरा पता .....
(छ) ..... में शिक्षक (शिक्षण संस्था का नाम)
(ज) प्रस्तावक के हस्ताक्षर, उसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या, उसका पूरा नाम और पता ।
(झ) ..... में शिक्षक
(ञ) समर्थक के हस्ताक्षर, उसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या और उसका नाम और पता .....

(ट) ..... में शिक्षक

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मैं वह व्यक्ति हूं जिसके बाबत विवरण ऊपर दिये गये हैं तथा मैं इस नाम निर्देशन से सहमत हूं । फीस रु. 5) (पांच रुपये मात्र) (अप्रत्यर्पणीय) बोर्ड में रसीद संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा जमा करवा दी गई है जो संलग्न है ।

दिनांक .....

प्रत्याशी के हस्ताक्षर ।

निर्वाचन आफिसर की परिनिरीक्षा की टीका टिप्पणी ।

निर्वाचन आफिसर के हस्ताक्षर ।

टिप्पण:—निर्वाचन आफिसर रद्द करने के आधारों का वर्णन करेगा, यदि कोई हो, प्रपत्र को ग्रहण करने के स्पष्ट आदेश का भी उसे उल्लेख करना पड़ेगा ।

प्ररूप 5

[नियम 6 (5)]

(बोर्ड के साधारण सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र)

प्रत्याशी का नाम .....

रजिस्ट्रीकरण संख्या ....

पता ....

आयु ....

पिता/पति का नाम ....

प्रस्तावक के हस्ताक्षर, उसका पूरा नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या ......

समर्थक के हस्ताक्षर, उसका पूरा नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या ....

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसके ऊपर विवरण ऊपर दिये गये हैं और मैं बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन में सहमत हूं।

फीस रु. 5) (पांच रुपये मात्र) (अप्रत्यर्पणीय) रसीद संख्या ....
दिनांक .... द्वारा बोर्ड में जमा करवाई गई है जो संलग्न है।

दिनांक ....

प्रत्याशी के हस्ताक्षर।

निर्वाचन आफिसर की परिनिरीक्षा की टीका टिप्पणी

निर्वाचन आफिसर के हस्ताक्षर।

टिप्पणी :—निर्वाचन आफिसर रद्द करने के आधारों का वर्णन करेगा, यदि को हो। प्रपत्र ग्रहण करने के स्पष्ट आदेशों का भी उसे उल्लेख करना होगा।

प्रपत्र 6

मत-पत्र का प्रपत्र

राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड, पर्ण (मुखभाग) ....
.... निर्वाचन क्षेत्र।

प्रतिपर्ण	उम्मीदवारों के नाम	मतदान का नाम घातक चिन्ह

राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड के लिये निर्वाचन वर्ष ....
मत-पत्र की क्रम संख्या ....

संख्या जिस पर निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का नाम अंकित है ....

निर्वाचक का नाम ....

प्रेषित करने का दिनांक .....

प्रेषित करने वाले आफिसर के आद्याक्षर

निर्वाचन आफिसर के प्रथमाक्षर ।

पर्ण (पृष्ठ भाग)

अनुदेश

1. कितने उम्मीदवारों के लिये निर्वाचक मत दे सकेगा, उनकी संख्या ..... है ।

2. आप उन उम्मीदवारों जिन्हें अधिमान्यता देते हैं के नाम या नामों के सामने चिन्ह × लगा कर मत देंगे । यदि आप अपने समस्त मतों का उपयोग करना नहीं चाहे (ऐसी स्थिति में जहां एक से अधिक मत दिया जाना अनुमन्य है) आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु एक से अधिक मत किसी भी एक उम्मीदवार नहीं दिये जा सकेंगे ।

3. राजस्थान होमि तैथिक नियम, 1971 के अधीन, मत-पत्र अविधिमान्य होगा, यदि —

(क) वह उक्त नियमों के किसी प्रकार से अनुरूप न हो, या

(ख) वह उस पर मुद्रित अनुदेशों के अनुरूप न हो, या

(ग) इस पर निर्वाचन आफिसर के आद्याक्षर न हो, या

(घ) उस पर कोई भी मत अभिलिखित (रिकार्ड) नहीं किया गया, या

(ङ) मत-दाता मत-पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर देता है या ऐसा कोई शब्द लिख देता है या ऐसा कोई चिन्ह बना देता है, जिससे यह पहिचाना जा सके कि वह उसी का मत-पत्र है, या

(च) उस पर अभिलिखित किये गये मतों की संख्या करे जाने वाले रिक्त स्थान संख्या से अधिक है, या

(छ) वह दिये गये एक या एक से अधिक मतों की अनिश्चितता के कारण शून्य है :

परन्तु जहां एक से अधिक मत उसी मत-पत्र पर दिये जा सकते हैं यदि चिन्हों में से एक चिन्ह इस प्रकार लगाया जाय कि जिससे यह सन्देह हो कि उसका उपयोग कौन से उम्मीदवार के लिये किया जाना आशयित है तो इस कारण सम्बन्धित मत ही अविधिमान्य होगा न कि पूरा मत-पत्र ।

4. जो मत निर्वाचन आफिसर के पास दिनांक ..... माह ..... वर्ष को 12 बजे मध्यान्ह तक नहीं पहुंच जाय, उन्हें रद्द कर दिया जायेगा ।

प्रपत्र 7

[नियम 25 (1)]

धारा 30 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन का प्रपत्र

महत्वपूर्ण :—इस प्रपत्र में अपेक्षित समस्त ब्यौरा आवेदक द्वारा स्पष्ट सुपाठ्य रूप से दिया जाना आवश्यक है। अपूर्ण प्रपत्र अगृहीत किये जा सकेंगे।

रजिस्ट्रार,
राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड
.....जयपुर

प्रिय महोदय,

प्रार्थना है कि मेरा नाम राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा अधिनियम, 1969 के अधीन संधारित होमियोपैथों के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाय और मुझे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाय। मेरे सम्बन्ध में आवश्यक ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(1) पूरा नाम (बड़े अक्षरों में).....

(2) पिता/पति का नाम.....

(3) आयु.....

(4) पता.....

(5) (1) अधिनियम की अनुसूची की संख्या जिसके अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है।

(2) अर्हता-सुसंगत प्रविष्टि के सन्दर्भ में :—

कृपया अर्हताओं से सम्बन्धी मूल दस्तावेज, किसी राजपत्रित आफिसर द्वारा सही प्रतियों के रूप में प्रमाणित की गई, उनकी प्रतियों सहित प्रस्तुत करें।

50) रु. का विहित शुल्क पोस्टल आर्डर/चैक संख्या.....मनि आर्डर रसीद संख्या.....बोर्ड की कैश रसीद संख्या.....दिनांक.....द्वारा संदत्त/प्रेषित की जाती है/संदत्त/प्रेषित की जा चुकी है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त प्रपत्र में की समस्त प्रविष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

भवदीय,

स्थान.....

दिनांक.....आवेदक के हस्ताक्षर।

संलग्न पत्रों की संख्या (ब्यौरा सहित)

टिप्पण :—राजस्थान होमियोपैथिक नियम, 1971 के नियम 13 द्वारा अपेक्षित प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

दिनांक.....को प्राप्त हुआ।

प्राप्त करने वाले अधिकार के हस्ताक्षर।

रजिस्ट्रार के आदेश

दिनांक..... रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर।

प्रपत्र 8

[नियम 25 (2)]

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
.....आयु.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
पता..... होमियोपैथ चिकित्सक के रूप में
.....वर्षों से व्यवसाय कर रहे हैं और मेरी राय में होमियोपैथ (चिकित्सक) के रूप में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिये योग्य व्यक्ति हैं।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
पद नाम.....
पूरा पता.....

प्रपत्र 9

[नियम 25 (3)]

राजस्थान राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड, जयपुर
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या.....दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि डा.....
आयु.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
पता.....को राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा अधिनियम (अधिनियम संख्या 1 सन् 1970) की धारा 30, अनुसूची.....के अधीन होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति में सद्भावी व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है और उनका नाम राज्य के होमियोपैथी चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में दिनांक.....को पृष्ठ.....क्रम संख्या.....पर प्रविष्ट

किया जा चुका है और वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों को अनुदत्त समस्त विशेषाधिकारों का हकदार है।

जिसके साक्ष्य स्वरूप, नीचे बोर्ड की मुद्रा लगाई जाती है और रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं।

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर।

मुद्रा

प्रपत्र 10

[नियम 25 (4)]

(रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथों की निर्वाचक नामावली अथवा सूची)

होमियोपैथिक व्यवसायियों का रजिस्टर

(क) क्रम संख्या..................
(ख) सं. ....पर रजिस्ट्रीकृत तथा रजिस्ट्रीकरण की तारीख
(ग) नाम
(घ) पिता/पति का नाम
(ङ) आयु
(च) पता
(छ) रजिस्ट्रीकरण का आधार
(ज) अर्हता या डिग्री अथवा डिप्लोमा, यदि कोई हो
(झ) व्यवसाय करते हुए कितने वर्ष हुए ?
(ञ) रजिस्ट्रीकरण फीस रसीद संख्या तथा तारीख
(ट) नवीनकरण फीस रसीद संख्या तथा तारीख
(ठ) अभ्युक्तियों सहित रद्दकरण (यदि रद्द किया गया हो)

प्रपत्र 11

[नियम 26 (1)]

अतिरिक्त अर्हताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन-पत्र

सेवा में,

श्रीमान रजिस्ट्रार,
राजस्थान होमियोपैथिक बोर्ड,
जयपुर।

प्रिय महोदय,

निवेदन है कि मेरे द्वारा..................में..................से अर्जित अतिरिक्त अर्हताएं रजिस्ट्रीकृत करली जायं इनके समर्थन में राजपत्रित ऑफिसर द्वारा